[2019] 17 एस. सी. आर. 917

यशवंत सिन्हा और ओआरएस।

वी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

इसके निदेशक और ए. एन. आर. के माध्यम से।

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2019 का सं. 46)

में।

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2018 का No.298)

नवंबर, 14,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, संजय किशन कौल

और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

राफेल लड़ाकू विमान मामला-फैसले में सुधार

निर्णय-भारत संघ ने 14.12.2018 पर दिए गए फैसले के पैरा 25 में दो वाक्यों में एक त्रुटि होने का दावा करते हुए सुधार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया-त्रुटि सुप्रीम कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए नोट में कुछ वाक्यों की गलत व्याख्या के कारण बताई गई थी-आयोजित (संजय किशन कौल, जे. अपने और रंजन गोगोई, सीजेआई के लिए)। : प्रार्थना स्वीकार की जाती है और पैरा 25 में निम्नलिखित प्रभाव का वाक्य दिया जाता है।

" हालाँकि, मूल्य विवरण के साथ साझा किया गया है

लोक लेखा समिति (पी. ए. सी.) ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) और सी. ए. जी. की रिपोर्ट की जांच की है। केवल

रिपोर्ट का एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था और सार्वजनिक क्षेत्र में "इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए:" सरकार पहले ही कैग के साथ मूल्य निर्धारण का विवरण साझा कर चुकी है। सी. ए. जी. की रिपोर्ट की जांच पी. ए. सी. द्वारा सामान्य रूप से की जाती है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया जाता है

संसद और सार्वजनिक क्षेत्र में "।

राफेल लड़ाकू विमान मामला-निर्णय-समीक्षा-याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि रिट याचिका में एक प्रार्थना की गई थी

एफ. आई. आर. दर्ज करने और सी. बी. आई. द्वारा जाँच के लिए, जिस पर विचार नहीं किया गया था और तथ्यों के विवादित प्रश्नों की जाँच और जाँच के लाभ के बिना न्यायपालिका द्वारा अनुबंध की समय से पहले समीक्षा की गई थी-आयोजित (संजय किशन कौल, जे.

अपने और रंजन गोगोई, सीजेआई के लिए) : यह इस कारण से उचित निवेदन नहीं है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सहित सभी वकीलों ने सभी पर विस्तृत दलीलों को संबोधित किया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. आई. आर. के पंजीकरण के लिए प्रार्थना की गई और

पहलुओं

आगे की जाँच लेकिन फिर एक बार जब सभी पहलुओं की योग्यता के आधार पर जाँच की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझा।

राफेल लड़ाकू विमान मामला-निर्णय-समीक्षा-आयोजित विमानों की कीमत (संजय किशन कौल के अनुसार, जे. अपने और अपने लिए) रंजन गोगोई, सीजेआई) : मूल्य निर्धारित करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है और न ही उस मामले के लिए ऐसे पहलू हो सकते हैं

अदालत से संपर्क करने का निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के केवल संदेह पर निपटा गया-इस तरह के मूल्य निर्धारण का आंतरिक तंत्र स्थिति का ध्यान रखेगा-बुनियादी विमान की कीमत की तुलना की जानी चाहिए जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मामूली रूप से कम थी-कि विमान में क्या लोड किया जाना चाहिए या नहीं और आगे क्या मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए।

इसे सक्षम अधिकारियों के सर्वोत्तम निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

राफेल लड़ाकू विमान मामला-फैसला-अवमानना याचिका की समीक्षा अवमानना याचिका एक आरोप से निकलती है

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ कई मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में दिए गए बयानों के कारण कि सर्वोच्च न्यायालय उनके कथन के अनुरूप था

चर्चा यह थी कि भारत के प्रधान मंत्री ने वायु सेना से पैसा चुराया और इसे एक विशेष व्यापारिक समूह को दे दिया और प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे (संजय किशन कौल, जे. अपने लिए और रंजन गोगोई, सीजेआई।) : बड़ी संख्या में 20 पृष्ठों का हलफनामा दाखिल करने से मामला और बढ़ गया।

केवल गलती को स्वीकार करने और बिना शर्त माफी मांगने के बजाय संलग्न किए गए दस्तावेज़-हालाँकि, बाद में एक हलफनामा बेहतर विवेक के साथ 08.05.2019 पर दायर किया गया था-बाद के हलफनामे को देखते हुए, बेहतर समझ प्रबल हो गई थी-अवमानना कार्यवाही को भविष्य में अवमानना करने वाले को अधिक सावधान रहने के लिए सावधानी के एक शब्द के साथ समाप्त किया जाता है।

राफेल लड़ाकू विमान मामला-निर्णय-- समीक्षा-शिकायत यह है कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में मांगी गई राहत की पूरी तरह से अनदेखी की-उक्त रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने एक एफ. आई. आर. दर्ज करने और प्रकट किए गए अपराधों की जांच की मांग की थी-उक्त मामले में याचिकाकर्ता, अपने मामले को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित करते हैं।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य-यह तर्क दिया जाता है कि प्रभाव पर विचार न करने में भी त्रुटि स्पष्ट है

संविधान पीठ की और समीक्षा याचिका के माध्यम से निवारण की आवश्यकता है-आयोजित (प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (सहमति)): चार रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई, न्यायालय ने निश्चित रूप से सीमित न्यायिक समीक्षा के दृष्टिकोण से मामले के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया था, जिसे वह एक मामले में कर सकता था।

विचाराधीन प्रकृति का मामला-उक्त अभ्यास के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय के पास कोई सामग्री नहीं थी-लेकिन यह यह अभिनिर्धारित करने से बहुत दूर है कि वह एक संज्ञेय अपराध के होने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश का पालन नहीं करेगा-उच्चतम न्यायालय घोषणा कर सकता है कि वह न्यायिक समीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए गैर-उपयुक्त था, अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए।

जिन सामग्रियों ने विचाराधीन अनुबंध के अधिनिर्णय को असुरक्षित ठहराने को उचित ठहराया होगा-इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह या तो वर्जित है या यह कर्तव्य नहीं है-अभी भी यह निर्देश देने के लिए बाध्य है कि ललिता कुमारी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए-साथ ही, ललिता कुमारी की संविधान पीठ ने निम्नलिखित से संबंधित अपराधों में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता पर विचार किया थाः

भ्रष्टाचार-इसलिए, याचिकाकर्ताओं को एफ. आई. आर. के पंजीकरण और उसी पर जांच की राहत की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं हो सकता है-इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप थे और याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक जांच की राहत की मांग नहीं की थी-इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से जानते हुए शिकायत दायर की थी कि एस. 17 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 का ए किसी भी जांच या जांच या जांच के लिए एक बाधा का गठन करता है जब तक कि पूर्व अनुमोदन न हो-याचिकाकर्ताओं ने यू/एस अनुमोदन का अनुरोध किया था। 17 ए शिकायत में लेकिन वही राहत रिट याचिका में नहीं मांगी गई थी यहां तक कि इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर, एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि यह संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने के लिए अभिप्रेत है और न्यायालय को इतना निर्देश देना चाहिए, यह एस को ध्यान में रखते हुए एक निरर्थक अभ्यास होगा। 17 ए-तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता समीक्षा याचिका में सफल नहीं हो सकते हैं, हालांकि, निर्णय की मांग की गई है

समीक्षा की गई, पहली प्रतिवादी-सी. बी. आई. के रास्ते में कानून के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करने और यू/एस. के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन नहीं होगी। 17 अधिनियम, 2018 का ए।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान-Art.137-समीक्षा-क्षेत्राधिकार

आयोजित (प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (सहमत)): समीक्षा में अधिकार क्षेत्र के संबंध में अच्छी तरह से तय सिद्धांत यह है कि समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है-एक समीक्षा में, आवेदक को, अधिकांश अवसरों पर, यह इंगित करते हुए, कि उसका उपाय एक अपील का पीछा करने में निहित है, बंद कर दिया जाता है-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपील की उपलब्धता के आधार पर आधार उपलब्ध नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और कोई अपील झूठ नहीं है जबकि एक समीक्षा याचिका दायर नहीं की गई है। छद्म रूप में एक अपील के रूप में समझा गया और केवल एक गलत निर्णय एक समीक्षा को उचित नहीं ठहरा सकता है, एक निर्णय जो एक त्रुटि को धोखा देता है जो

स्पष्ट है, न्यायालय को यू/आर्ट के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है। 137 संविधान से।

भारत का संविधान-Art.137-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XLVII, आर. 1-समीक्षा-आयोजित की रखरखाव (प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (सहमति)): एक समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य है। यदि उच्चतम न्यायालय का विवादित निर्णय अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है-यू/आर्ट की समीक्षा देने के लिए।

137 संविधान आर/डब्ल्यू। या. XLVII, सी. पी. सी. का आर. 1, त्रुटि तथ्य या कानून की त्रुटि हो सकती है-त्रुटि को एक के रूप में वर्णित किया गया है

स्पष्ट त्रुटि या स्पष्ट चूक-रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि क्या है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें पाया जाना चाहिए

प्रत्येक मामले के तथ्यों का संदर्भ।

पुलिस अधिकारी-पुलिस अधिकारी की शक्ति

रिट कोर्ट से व्यापक और अलग-आयोजित (प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (सहमति)): तत्काल मामले में, सी. बी. आई. देश की प्रमुख जाँच एजेंसी है-यह कार्य करने के लिए सुसज्जित है।

सभी प्रकार की जांच, चाहे वह तकनीकी हो या अन्यथा -

उच्चतम न्यायालय ने इस समीक्षा याचिकाओं के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में कहा कि यह न तो उचित है और न ही न्यायालय के साथ। जो तकनीकी रूप से संभव है या नहीं, उसमें कदम रखने का अनुभव-ऐसी कोई सीमा एक संज्ञेय अपराध के अन्वेषक पर लागू नहीं होती है-महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सभी सामग्री एकत्र करे, चाहे वह तकनीकी हो या अन्यथा और उसके बाद, संबंधित न्यायालय को एक उपयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे, चाहे वह अंतिम रिपोर्ट हो या बरामद सामग्री के आधार पर चालान-अदालत ने कहा था

पर्याप्त सामग्री की अनुपस्थिति पर भरोसा किया-हालाँकि, यह जाँच अधिकारी पर प्रतिबंध नहीं है।

यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः संजय किशन कौल के अनुसार, जे. [अपने और रंजन गोगोई, सीजेआई के लिए]:

1. निर्णय के पैरा 25 में सजा

निम्नलिखित प्रभाव-"हालांकि, मूल्य निर्धारण विवरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (" सीएजी ") के साथ साझा किया गया है, और सीएजी की रिपोर्ट की सार्वजनिक लेखा द्वारा जांच की गई है।

समिति ("पीएसी")। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था और यह सार्वजनिक क्षेत्र में है "इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिएः" सरकार पहले ही कैग के साथ मूल्य निर्धारण का विवरण साझा कर चुकी है। सी. ए. जी. की रिपोर्ट की जांच पी. ए. सी. द्वारा सामान्य रूप से की जाती है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित संस्करण संसद के समक्ष और सार्वजनिक रूप से रखा जाता है।

डोमेन "। [पैरा 6] [935-ई]

2. समीक्षा याचिका No.46/2019 में विशेष रूप से उठाया गया दूसरा पहलू यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना एफ. आई. आर. के पंजीकरण और सी. बी. आई. द्वारा जांच के लिए थी, जिस पर विचार नहीं किया गया है और तथ्यों के विवादित प्रश्नों की जांच और जांच के लाभ के बिना न्यायपालिका द्वारा अनुबंध की समय से पहले समीक्षा की गई है। [पैरा 15] [937 सी]

3. यह न्यायालय इसे उचित नहीं मानता है।

4. जहाँ तक मूल्य निर्धारण के पहलू का संबंध है, न्यायालय ने उपलब्ध कराई गई सामग्री से खुद को संतुष्ट किया। ऐसा नहीं है कि मूल्य निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय का कार्य और न ही उस मामले के लिए ऐसे पहलुओं पर केवल उन व्यक्तियों के संदेह पर विचार किया जा सकता है जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लेते हैं। इस तरह के [2019] 17 एस. सी. आर. का आंतरिक तंत्र।

मूल्य निर्धारण स्थिति का ध्यान रखेगा। दस्तावेजों के अवलोकन पर इस अदालत ने पाया था कि कोई भी सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकता है। इस प्रकार, बुनियादी विमान का मूल्य निर्धारण होना था

इसकी तुलना में जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मामूली रूप से कम था। विमान में क्या लोड किया जाना चाहिए या नहीं और आगे क्या मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, यह सक्षम अधिकारियों के सर्वोत्तम निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [पैरा 17] [937-एफ-जी]

5. यह याचिकाकर्ताओं का निर्णय था कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया।

भारत जांच की रूपरेखा की सीमा के बारे में पूरी तरह से सचेत है और अन्य उपचारों का सहारा नहीं लेगा जो उपलब्ध हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इस उपाय का सहारा लेने के बाद, वे एक ऐसी निर्णय प्रक्रिया चाहते हैं जो वास्तव में उससे अलग हो। उनके द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के तहत परिकल्पित। [पैरा 19] [938 ए-बी]

6. जहाँ तक निर्णय लेने की प्रक्रिया का संबंध है,

प्राप्त कुछ दस्तावेजों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना चाहा कि विरोधाभासी सामग्री थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान निस्संदेह राय व्यक्त की गई थी, जो लिए गए निर्णय से अलग हो सकती है, लेकिन फिर किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस और विशेषज्ञ राय की परिकल्पना की जाती है और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के पास होता है, जिसने इसका प्रयोग किया। इस संदर्भ में (ए) की स्वीकृति का संदर्भ दिया गया था

रक्षा अधिग्रहण परिषद ('डी. ए. सी.') द्वारा दी गई आवश्यकता ('ए. ओ. एन.') अनुबंध से पहले उपलब्ध नहीं है जो विमानों की आवश्यकता और मात्रा निर्धारित करता; (बी) रक्षा खरीद प्रक्रिया ('डी. पी. पी.') की आवश्यकता के बावजूद फ्रांस द्वारा दी गई संप्रभु गारंटी की अनुपस्थिति; (सी) समझौते में कुछ वृद्धि के संबंध में भारतीय वार्ताकार दल ('आई. एन. टी.') के तीन विशेषज्ञ सदस्यों की आपत्तियों की निगरानी।

बेंचमार्क मूल्य; और (घ) ऑफसेट भागीदार के रूप में रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ('आरएएल') को शामिल करना। [पैरा 20] [938-सी-ई]

7. यह उपरोक्त कारणों से भी है कि इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन शुरू करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था

इस प्रकार, धारा 340 Cr.P.C के तहत इस न्यायालय का विचार है कि समीक्षा याचिकाएं बिना किसी योग्यता के हैं और तदनुसार यशवंत सिन्हा बनाम हैं।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कि हमारा मूल निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 की रूपरेखा के भीतर आधारित था, खारिज कर दिया गया। [पारस 24-25] [939-C-D]

8. अवमानना याचिका के मामले को और बढ़ा दिया गया

बड़ी संख्या में दस्तावेजों के साथ 20 पृष्ठ का शपथ पत्र दाखिल करना

गलती को स्वीकार करने और बिना शर्त माफी मांगने के बजाय संलग्न किया गया। उसके बाद बहस के दौरान ही वकील को बेहतर ज्ञान प्राप्त हुआ जब बाद में 8.5.2019 का एक हलफनामा दायर किया गया। इस न्यायालय का मानना है कि राजनीतिक मामलों में ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति

स्पेक्ट्रम को अधिक सावधान रहना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए

अभियान की रेखा एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए विचार करने के लिए है। हालाँकि, इस न्यायालय या उस मामले के लिए किसी भी न्यायालय को इस राजनीतिक विमर्श में वैध या अमान्य नहीं घसीटा जाना चाहिए, जबकि पहलुओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

न्यायालय जो न्यायालय द्वारा कभी आयोजित नहीं किया गया था। निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। [पैरा 32] [940-एच; 941-ए-बी]

9. हालाँकि, बाद के हलफनामे को देखते हुए, बेहतर समझ प्रबल होने के कारण, यह न्यायालय जारी नहीं रखना चाहेगा।

ये कार्यवाहियाँ आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार अवमानना को बंद कर देती हैं अवमानकर्ता के भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए सावधानी के एक शब्द के साथ कार्यवाही। [पैरा 33] [941-सी]

प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (सहमत):

समीक्षा न्यायनिर्णायक के सदस्य

10. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित निष्कर्ष अपरिहार्य प्रतीत हुए और वे समीक्षा के लिए आधार भी प्रदान करते हैं:

न्याय सबसे ऊपर है। जबकि एक समीक्षा याचिका को छद्म रूप में एक अपील और केवल गलत के रूप में नहीं समझा गया है।

निर्णय एक समीक्षा को उचित नहीं ठहरा सकता है, एक निर्णय जो एक त्रुटि को दर्शाता है जो स्पष्ट है, अदालत को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है। संस्थापक पिता इस बात से अवगत थे कि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय था। दो मूल्य हैं, जो कानून की किसी भी प्रणाली में टकरा सकते हैं। एक ओर, यह मानते हुए कि पुरुष अचूक नहीं हैं और अदालतों का संचालन पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो गलतियों के लिए प्रवण हैं, वहाँ [2019] 17 एस. सी. आर. होना चाहिए।

गंभीर अन्याय की संभावना की जाँच करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व

एक वादी के पास पहुँचा गया, एक त्रुटि के परिणामस्वरूप, जो स्पष्ट है या एक द्वारा उचित परिश्रम के बावजूद प्रासंगिक सामग्री के परिणामस्वरूप है

वादी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है या अन्य पर्याप्त कारण। दूसरा मूल्य जो कानून देने वाले के दिमाग में हमेशा मौजूद रहता है, वह यह है कि मुकदमेबाजी को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। चाहे वह अंतिम अदालत के फैसले हों, अगर यह अंधाधुंध रूप से फिर से खुलने के लिए असुरक्षित हो जाता है, जब तक कि एक मजबूत आधार मौजूद न हो, जो स्वयं मैनिफेस्ट पर आधारित हो

एक दीवानी मामले में सी. पी. सी. के आदेश XLVII में उल्लिखित, यह होगा काफी असमानता पैदा की। [पैरा 40] [962-एफ-जी; 963-ए-बी]

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समीक्षा में अधिकार क्षेत्र के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत यह है कि समीक्षा छद्म रूप से अपील नहीं है। एक समीक्षा में, आवेदक को, अधिकांश अवसरों पर, यह इंगित करते हुए कहा जाता है कि उसका उपाय एक अपील को आगे बढ़ाने में निहित है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपील की उपलब्धता के आधार पर आधार उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय है और कोई अपील नहीं है। [पैरा 41] [963-सी]

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के नियम, 2013 में पंजीयक को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और साथ ही

चैंबरों में अदालत रखने वाले न्यायाधीश और अपील, वास्तव में, पंजीयक द्वारा पारित कुछ आदेशों के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। [पैरा 42] [963-डी]

13. तथ्य यह है कि इस न्यायालय के फैसले से कोई अपील नहीं है, हालांकि, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिणाम नहीं हो सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विस्तार किया जा रहा है। हालाँकि, जब न्यायालय को अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो इस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है। , कि दूसरे के विपरीत

जिन न्यायालयों से संविधान या अन्य कानूनों के तहत या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील की जा सकती है, उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

न्यायालय, और यह उस अर्थ में, अंतिम न्यायालय है। इस सिद्धांत के लिए अंतर्निहित धारणा कि समीक्षा छद्म रूप से अपील नहीं है, यह निर्णय अपील योग्य है, वास्तव में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में उपलब्ध नहीं है, बस इतना ही बताया जा रहा है। [पैरा 43] [963-ई-एफ] यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। यह डी. आई. आर. है।

सी. पी. सी. के आदेश XLVII नियम 1 के साथ, त्रुटि तथ्य या कानून की त्रुटि हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह की त्रुटि को स्पष्ट त्रुटि के रूप में वर्णित किया गया है या स्पष्ट चूक। अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में पाया जाने वाला विषय है। [पैरा 44] [963-जी-एच; 964-ए-बी]

15. इस न्यायालय का दृष्टिकोण, गिरधारी लाल गुप्ता और देव नारायण सिंह के मामले में भी इस प्रकार देखा गया है कि

यदि संबंधित कानून की अनदेखी की जाती है या कोई अप्रयोज्य कानून निर्णय की नींव बनाता है, तो यह समीक्षा के लिए आधार प्रदान करेगा। यदि कोई अदालत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों से अनजान है, तो निर्णय वास्तव में अनुचित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रति इनक्यूरियम की अवधारणा उदाहरण के रूप में इसके मूल्य के संदर्भ में उपयुक्त है, लेकिन जैसा कि पक्षों के बीच है, निश्चित रूप से यह आग्रह करने के लिए खुला होगा कि लागू कानून की अज्ञानता में दिए गए निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे मामले में निर्णय समीक्षा के लिए खुला हो जाता है क्योंकि यह निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि को धोखा देगा। [पैरा 45] [964-जी; 965-ए-बी]

16. जहां तक समीक्षा के लिए ताजा सामग्री बनाने के आधार का संबंध है, यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि यह प्रासंगिक हो और यह सामग्री को कमजोर करे।

फैसला. यह इस आवश्यकता के अलावा है कि उचित परिश्रम के बावजूद इसका उत्पादन नहीं किया जा सका। [पैरा 46] [965-बी-सी]

17. इस मामले में, संक्षिप्त बिंदु, जिस पर इस न्यायालय को विचार करने के लिए कहा जाता है, वह है विवादित निर्णय का प्रभाव नहीं

संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक बाध्यकारी निर्णय से निपटना, जिस पर रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया था (आपराधिक) 2018 का सं. 298 और ललिता कुमारी में प्रस्तुत किया गया। [पैरा 48] [965-एफ-जी]

18. इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कि तथ्यों पर यह न्यायालय गलत था और स्पष्ट रूप से आदेश का पालन नहीं करने में इनकार कर रहा था ललिता कुमारी के मामले में संविधान पीठ के अनुसार, मामले को आगे बढ़ाने के लिए तर्क की एक विपरीत प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या यह कहा जा सकता है कि एक संविधान पीठ का पालन करने से इनकार करना, एक संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर अधिकारियों का जवाब देना, इसके उल्लंघन में नहीं देखा गया है? यदि पुनर्विचार याचिका, दूसरे शब्दों में, खारिज कर दी जाती है, तो सारतः यह न्यायालय अपने निर्णय को बरकरार रखेगा जो

जब ललिता कुमारी में संविधान पीठ की घोषणा के साथ-साथ रखा जाता है, तो दोनों निर्णयों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह पेटेंट प्रस्थान के बावजूद सह-अस्तित्व में होना चाहिए, विवादित निर्णय द्वारा निर्धारित कानून से प्रकट होता है

संविधान पीठ। लेकिन यह असंभव होने के कारण, संविधान पीठ को प्रबल होना चाहिए और विवादित निर्णय कायम रहना चाहिए।

इस हद तक अभिभूत कि यह असंगत है। यह सच हो सकता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चार रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई थी, यह न्यायालय निस्संदेह सीमित न्यायिक समीक्षा के दृष्टिकोण से मामलों के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ा है, जिसे वह प्रकृति के मामले में कर सकता है। उक्त अभ्यास के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। लेकिन यह यह मानने से बहुत दूर है कि यह इसका पालन नहीं करेगा इस न्यायालय की संविधान पीठ को एक संज्ञेय अपराध के होने का पता लगाने के लिए अभिप्रेत शिकायत की प्राप्ति पर अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अधिदेश। यह न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि वह उन सामग्रियों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए गैर-उपयुक्त था जो अनुबंध के पुरस्कार को असुरक्षित ठहराने को उचित ठहराते। इसका यह अर्थ नहीं होगा कि यह या तो वर्जित है या यह कि यह अभी भी यह निर्देश देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं था कि ललिता कुमारी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए। [पैरा 61] [970-जी-एच; 971-ए-डी]

19. यदि याचिकाकर्ता की शिकायत से पता चलता है कि

संज्ञेय अपराध और एफ. आई. आर. दर्ज किया जाना है और मामले की जांच की जानी है, यह सुझाव देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा कि इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में मामले को मंजूरी दे दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरी कवायद को सीमित न्यायिक समीक्षा के चश्मे से देखा जाना चाहिए जो न्यायालय ऐसी कार्यवाही में करता है और

यह न्यायालय अंततः ललिता कुमारी के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के लिए जुबानी सेवा से कम भुगतान करेगा। [पैरा 62] [971-ई-एफ] यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

20. जहाँ तक अनुबंध के अधिनिर्णय की न्यायिक समीक्षा का संबंध है, इस तथ्य के अलावा कि समीक्षा की अनुमति नहीं है

सामग्री का पुनर्मूल्यांकन, याचिकाकर्ता का एक पहलू है जो न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए देर से अदालत का दरवाजा खटखटाता है

दिन को। अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित पहलू भी है जो उसे उस समय की सरकार के विवेक पर निर्णय में बैठने की अनुमति नहीं देता है, विशेष रूप से इस मामले में शामिल माल की खरीद से संबंधित मामलों में।

इसलिए, न्यायिक समीक्षा से संबंधित निष्कर्षों के संबंध में मांगी गई समीक्षा के संबंध में, वे नहीं पाए जा सकते हैं

स्पष्ट त्रुटियों से पीड़ित। [पैरा 63] [971-जी-एच] 21. जैसा कि पहले देखा गया है, यह कहना एक बात है कि अदालत के पास उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा के साथ, उसे याचिकाकर्ताओं के मामले में डी. पी. पी. का पालन करने में विफलता, अधिक मूल्य निर्धारण की उपस्थिति, पक्ष में ऑफसेट दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में योग्यता नहीं मिली।

एक पक्ष, और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश देने के लिए एक और बात। यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय को उचित ठहराने के लिए रखी गई सामग्री से संतुष्ट नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि अदालत ने खुद को इस तथ्य की याद दिला दी है कि यह न तो था

उचित और न ही न्यायालय के अनुभव के भीतर क्षेत्र में कदम रखने के लिए। यह भी उतना ही निर्विवाद है कि पूरे निष्कर्षों को उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र की प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। कानून के तहत किसी मामले की जांच करने वाले अधिकारी पर इस तरह के कोई प्रतिबंध और सीमाएं नहीं हैं। एक मामला प्रस्तुत करें, संज्ञेय अपराध के आयोग को बनाते हुए, एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद शुरू करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक प्रारंभिक जांच करें जहां यह आवश्यक है, कानून के तहत शक्तियों का पूरा विस्तार, निस्संदेह, अधिकारी के लिए उपलब्ध है। जाँच करने वाले अधिकारी द्वारा तथ्यों की खोज, न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा में दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों से पूरी तरह से अलग है। पूरी कार्यवाही पूरी तरह से अलग है। [पैरा 67] [972-एच; 973-ए-डी]

22. न्यायिक समीक्षा कार्यवाहियों में और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण से, और वाणिज्यिक पक्षपात का मामला साबित करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुपस्थिति से, यह सच हो सकता है कि जिसके अलावा अन्य निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है, वे एक स्पष्ट त्रुटि का खुलासा नहीं कर सकते हैं। इस न्यायालय में अनुभव की कमी है जो तकनीकी रूप से [2019] 17 एस. सी. आर. है।

व्यवहार्य, जैसा कि न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, इसके साथ वजन किया गया है। [पैरा 70] [975-बी]

पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ व्यापक और

राइट कोर्ट से अलग

23. पुलिस अधिकारी व्यापक शक्तियों से संपन्न होता है।

विवादित निर्णय में इस न्यायालय को संकुचित या सीमित करने वाली कोई भी बात उस अधिकारी पर लागू नहीं होती है जिसने

संज्ञेय अपराध किए जाने की जाँच। वास्तव में, इस मामले में पहला प्रतिवादी-सी. बी. आई. प्रमुख है।

देश की जाँच एजेंसी। यह कार्य करने के लिए सुसज्जित है।

सभी प्रकार की जाँच, चाहे वह तकनीकी हो या अन्यथा। इस न्यायालय से संबंधित कारकों को लाने के लिए पुनरावर्तित किया जा सकता है

ऐसा देश जो अनुमानतः जाँच की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। उच्चतम गुणवत्ता का व्यावसायिकता, जो इसके भीतर शामिल है, असम्बद्ध स्वतंत्रता और तटस्थता, इससे अपेक्षित है। फिर से, प्रतिबंध जो अंतर्निहित है विवादित निर्णय न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र भी है। यह एक पहाड़ी धारा के रूप में स्पष्ट है कि ये दोनों विचार एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं जिनके पास एक है

संज्ञेय अपराध करने की शिकायत। [पारस 71 और 73] [975-सी; 976-सी-जी]

24. ललिता कुमार के अनुच्छेद 117 में, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

पी. सिराजुद्दीन, आदि में निर्णय के लिए। मद्रास राज्य, आदि और यह विचार रखा कि भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

उक्त निर्णय में न्यायालय ने लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता व्यक्त की है। [पैरा 77] [980-सी]

25. इसके बाद "अपवाद" शीर्षक के तहत,

संविधान पीठ भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए आगे बढ़ी है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है और ललिता कुमारी के पैराग्राफ 117 में निहित है, जिसे पहले ही निकाला जा चुका है। सी. बी. आई. अपराध नियमावली का अध्याय 8 शिकायतों और स्रोत से संबंधित है।

जानकारी। अध्याय 9 प्रारंभिक पूछताछ से संबंधित है। अध्याय 8 के खंड (8.6) में शिकायतों की उन श्रेणियों का प्रावधान है जिन्हें सत्यापन के लिए उपयुक्त माना जाना है। यह अन्य बातों के साथ-साथ उन विषयों से संबंधित शिकायतों का प्रावधान करता है जो सी. बी. आई. के दायरे में आती हैं, जो या तो आधिकारिक चैनलों से या अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त शिकायतों से प्राप्त होती हैं।

संगठनों या व्यक्तियों से जो जाने जाते हैं और जो कर सकते हैं

पता लगाया जाए और जांच की जाए। निस्संदेह, याचिकाकर्ता ज्ञात हैं और उनका पता लगाया जा सकता है और उनकी जांच की जा सकती है। केंद्र सरकार के किसी मंत्री या पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत सी. बी. आई. के निदेशक के समक्ष रखी जानी है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सत्यापन के लिए पंजीकृत शिकायतों का केवल गुप्त सत्यापन किया जाएगा। अध्याय 9 के खंड (9.1) में विचार किया गया है कि जब कोई शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, सत्यापन के बाद प्राप्त होती है और जो सत्यापन के बाद लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत दे सकती है, लेकिन एक नियमित मामले के पंजीकरण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रारंभिक जांच दर्ज की जा सकती है। खंड (9.1), निस्संदेह, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सौंपे गए मामलों से भी संबंधित है। नियमावली में आगे विचार किया गया है कि प्रारंभिक जांच के परिणामस्वरूप या तो नियमित मामले दर्ज किए जाएंगे या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। [पैरा 80] [982-बी-एफ] 26. ललिता कुमारी की संविधान पीठ के समक्ष सी. बी. आई. अपराध नियमावली थी। इसने पी. सिराजुद्दीन मामले में इस अदालत के फैसले पर भी विचार किया, जिसमें इसकी आवश्यकता घोषित की गई थी।

भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की प्रारंभिक जांच। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकी दर्ज करने और उसी तरह की जांच से राहत पाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि [2019] 17 एस. सी. आर. में से एक।

अपवाद जहाँ एफ. आई. आर. का तत्काल पंजीकरण नहीं हो सकता है

उदाहरण के लिए, आपराधिक अभियोजन शुरू करना, तीन महीने से अधिक। एक प्रारंभिक जांच, जिसे पैराग्राफ 120.7 में देखा जाना है, है सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। [पैरा 81] [982-जी-एच; 983-ए]

27. याचिकाकर्ताओं ने राहत की मांग नहीं की है

प्रारंभिक जांच की जा रही है। यह मानते हुए भी कि मांगी गई राहत की तुलना में एक छोटी राहत दी जा सकती है, अभी भी है

एक और प्रतीत होने वाली अप्रतिरोध्य बाधा। [पैरा 82] [983-ए-बी] 28. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 ए के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी

लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच या जांच या जांच करने की अनुमति दी गई है, जहां कथित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में की गई किसी भी सिफारिश या निर्णय से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक सेवक को उस समय अपने कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना जब अपराध का आरोप लगाया गया था। लोक सेवक के संबंध में, जो इस मामले में शामिल है, यह खंड (सी) लागू होता है। इसलिए, जब तक पूर्व मंजूरी नहीं है, तब तक न तो जांच हो सकती है और न ही जांच। [पैरा 84] [983-जी-एच; 984-ए-बी]

29. इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से जानते हुए शिकायत दायर की है कि धारा 17 ए किसी भी जांच के लिए एक बाधा का गठन करती है या

जाँच या जाँच जब तक कि पूर्व अनुमोदन न हो। वास्तव में, 2018 अधिनियम की धारा 17 ए के तहत अनुमति लेने का कम से कम पहला कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 24.10.2018 पर दायर की गई थी और शिकायत एफ़. आई. आर. दर्ज न करने पर आधारित है। धारा 17 ए को कोई चुनौती नहीं है। कानून के तहत, जैसा कि यह था, याचिका दायर करने की तारीख और आज भी, धारा 17 ए क़ानून की पुस्तक में बनी हुई है और यह किसी भी जांच या जांच या जांच के लिए एक बाधा का गठन करती है। याचिकाकर्ताओं ने

स्वयं शिकायत में, धारा 17 ए के संदर्भ में अनुमोदन लेने का अनुरोध किया गया है, लेकिन जब रिट याचिका में मांगी गई राहत की बात आती है, तो इस संबंध में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। [पैरा 85] [984 एफ-एच; 985-ए] यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है।

30. यहां तक कि इस आधार पर भी कार्यवाही की जाती है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि इसका खुलासा करने का तात्पर्य है।

298 ललिता कुमारी में वास्तव में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, और इससे भी महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए को ध्यान में रखते हुए, 2018 की एक समीक्षा में एक मामला बनाया गया होगा। याचिका, याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, जिस निर्णय की समीक्षा करने की मांग की गई है, वह पहले प्रतिवादी-2018 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में सी. बी. आई. के कानून के अनुसार और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहले प्रतिवादी के अधीन शिकायत पर कार्रवाई करने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। [पैरा

86] [985 - बी-सी]

के. एम. जोसेफ, जे. :

लिमिटेड (2006) 5 एससीसी 501: [2006] 3 पूरक। एससीआर 409; शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम। जैन स्टूडियो लिमिटेड। (2006) 2 एससीसी 628: [2006] 1 एस. सी. आर. 933; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम। कमल सेनगुप्ता और एक अन्य

(2008) 8 एससीसी 612: [2008] 10 एस. सी. आर. 4; मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस और एक अन्य वी। अधिकांश रेव. मार पौलोस एथानासियस और अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 526: [1955] एस. सी. आर. 520; गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एन. मेहता और एक अन्य आकाशवाणी 1971 एस. सी. 2162: [1971] 3 एससीआर

748 ; सो चंद्र कांटे और एक अन्य वी। शेख हबीब

(1975) 1 एस. सी. सी. 674; अरिबम तुलेश्वर शर्मा वी. अरिबम पिशक शर्मा और अन्य (1979) 4 एस. सी. सी. 389; एम/एस. उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल (1980) 2 एस. सी. सी. 167: [1980] 2 एस. सी. आर. 650; एस. नागराज और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17

एस.

एससीआर 1; कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एससीसी 320 [2013] 11 एससीआर 25; हरि विष्णु कामत

वी. अहमद इशाक और अन्य एआईआर 1955 एससी 233:

[1955] एससीआर 1104; एम. सी. अब्राहम और एक अन्य वी. राज्य

महाराष्ट्र और अन्य (2003) 2 एस. सी. सी. 649:

[2002] 5 पूरक। एससीआर 677-पर निर्भर।

मुकेश बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2018) 8 एस. सी. सी. 149:

[2018] 7 एस. सी. आर. 898; सुथेंद्रराज उपनाम सुथेंथिरा

राजा उपनाम संथन और अन्य बनाम। डी. एस. पी./के माध्यम से राज्य

सी. बी. आई, एस. आई. टी., चेन्नई (1999) 9 एस. सी. सी. 323: [1999] 3 पूरक।

अन्य (1986) पूरक। एस. सी. सी. 530; लिली थॉमस और अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 224

: [2000] 3 एस. सी. आर. 1081; हरियाणा राज्य औद्योगिक

विकास निगम लिमिटेड। वी. मवासी और

अन्य (2012) 7 एस. सी. सी. 200: [2012] 6 एससीआर 237; उषा

भारती बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 7

एससीसी 663 [2014] 4 एससीआर 1076; विक्रम सिंह उपनाम

विक्की वालिया और एक अन्य वी। पंजाब राज्य और

दूसरा (2017) 8 एस. सी. सी. 518 [2017] 8 एस. सी. आर. 177; रूपा

अशोक हुर्रा बनाम। अशोक हुर्रा और एक और (2002) 4

एससीसी 388: [2002] 2 एस. सी. आर. 1006; सत्यनारायण

लक्ष्मीनारायण हेगड़े और अन्य बनाम। मल्लिकार्जुन

भावनाप्पा तिरुमाले ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 137: [1960] एससीआर

890 ; जैकब मैथ्यू बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (2005) 6 एससीसी 1: [2005] 2 पूरक। एससीआर 307; पी।

सिराजुद्दीन, आदि। मद्रास राज्य, आदि (1970) 1 एस. सी. सी

595 : [1970] 3 एस. सी. आर. 931-संदर्भित। थाडिकुलंगारा पाईली का पुत्र पाथरोज़ बनाम। अय्याझीवेट्टिल

लक्ष्मी अम्मा के बेटे कुट्टन और अन्य एयर 1969 के. ई. आर.

186 ; राजा-सम्राट बनाम। नजीर अहमद ख्वाजा एयर 1945

पीसी 18 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून

संदर्भ

उस पर भरोसा करें

3] 14 एससीआर 713

पैरा 13

8] 7 एससीआर 898

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

0] 2 एससीआर 889

उस पर भरोसा करें

पैरा 21 यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है।

[1999] 3 पूरक। एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2006] 3 एससीआर 87

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

[2006] 3 पूरक। एससीआर 409

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[2006] 1 एससीआर 933

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[2008] 10 एससीआर 4

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

[1955] एससीआर 520

उस पर भरोसा करें

पैरा

26

[1971] 3 एससीआर 748

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

(1986) पूरक एस. सी. सी. 530

पैरा

29

संदर्भित किया गया है

(1975) 1 एस. सी. सी. 674

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

(1979) 4 एस. सी. सी. 389

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[1980] 2 एससीआर 650

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[1993] 2 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

[2000] 3 एससीआर 1081

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[2012] 6 एससीआर 237

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[2013] 11 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा

35

[2014] 4 एससीआर 1076

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[2017] 8 एससीआर 177

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[2002] 2 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[1960] एससीआर 890

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[1955] एससीआर 1104

उस पर भरोसा करें

पैरा

44

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

एयर 1945 पी. सी. 18

[2002] 5 पूरक। एससीआर 677

उस पर भरोसा करें

पैरा

72

[2005] 2 पूरक। एससीआर 307

पैरा

76

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 931

संदर्भित किया गया है

पैरा

77

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः

पेटी की

समीक्षा करें

(आपराधिक) सं. 46/2019 रिट याचिका (आपराधिक) सं. 298/2018 में।

रिट पेटी में दिनांकित 14.12.2018 निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका

(आपराधिक) 2018 की सं. 298।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

एमए 58/2019 लिखित याचिका (आपराधिक) सं. 225/2018 में

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या में याचिका (आपराधिक) संख्या 122/2019 की समीक्षा करें।

एमए 403/2019 लिखित याचिका (आपराधिक) सं. 298/2018 में

रिट याचिका (सिविल) सं. में याचिका (सिविल) सं. 719/2019 की समीक्षा करें।

1205/2018

विकास सिंह, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दीपिका कालिया, सुश्री सृष्टि बनर्जी, कपीश सेठ, सुश्री दिशा चौधरी, डॉ. आशुतोष गर्ग, सुश्री रुचि कोहली, धीरज कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार धीर्यान, मृणाल कुमार, आलोक शुक्ला, सुश्री सुमन, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, आर. बालासुब्रमण्यम, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांतो चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सुश्री श्रद्धा देशमुख, अरविंद कुमार शर्मा, सुनील फर्नांडिस, अविष्कार सिंघवी, सुश्री प्रियांशा इंद्रा शर्मा, वरुण के. चोपड़ा, निखिल भल्ला, सुश्री माधवी खन्ना, उदयन वर्मा, मुहम्मद अली खान, रंजीत कुमार शर्मा, देबाशीष मिश्रा, बिनय कुमार झा, सुश्री अल्पना शर्मा, विशाल एस. जोगदंड, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, मनोहर लाल शर्मा, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत।

संजय किशन कौल, जे।

(आई. ए. नं. 63168/2019-फाइलिंग से छूट

ओ. टी., आई. ए. No.71678/2019-फाइलिंग ओ. टी. और आई. ए. नंबर से छूट

फाइलिंग ओटी)

1. केवल अपवाद के अधीन अनुमति दी गई।

डब्ल्यू. पी. में एमए 58/2019 (सीआरएल।) नं. 225/2018 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू) (आई. ए. नं. 182576/2018-गलती में सुधार

न्याय)

2. भारत संघ ने वर्तमान आवेदन दायर किया है

इस न्यायालय द्वारा 14.12.2018 पर दिए गए निर्णय के पैरा 25 में दो वाक्यों में, जिसे वे एक त्रुटि होने का दावा करते हैं, उसका सुधार। यह त्रुटि इस न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए एक नोट में कुछ वाक्यों की गलत व्याख्या के कारण बताई गई है।

यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है। [संजय किशन कौल, जे।]

3. अदालत ने आईडी1 दिनांकित आदेश के माध्यम से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में विवरण/लागत के साथ-साथ किसी भी लाभ से अवगत कराने के लिए कहा था। संबंधित भागों में गोपनीय नोट निम्नानुसार बताया गया हैः

" सरकार पहले ही कैग के साथ मूल्य निर्धारण का विवरण साझा कर चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच पीएसी द्वारा की जाती है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित संस्करण संसद के समक्ष और सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

4. यह विद्वान महान्यायवादी का निवेदन है कि पहला वाक्य सीएजी के साथ मूल्य विवरण साझा करने का उल्लेख करता है। लेकिन दूसरे वाक्य में पी. ए. सी. ने प्रक्रिया का उल्लेख किया न कि वह जो पहले ही घटित हो चुका था। हालाँकि, निर्णय में इस भाग को ऐसा समझा गया था जैसे कि यह पहले ही किया जा चुका था।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने पर, हमारा विचार है कि पैराग्राफ के दो हिस्सों के कारण भ्रम पैदा हुआ

दोनों का उल्लेख करते हुए कि क्या किया गया था और क्या करने का प्रस्ताव था। इसके बावजूद, हमने जो नोट किया वह तथ्यों के क्रम को पूरा करना था और हमारे निष्कर्ष के लिए तर्क नहीं था।

6. इस प्रकार, हम निम्नलिखित प्रभाव के लिए पैरा 25 में प्रार्थना और वाक्य को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं-"मूल्य निर्धारण विवरण, हालांकि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (इसके बाद) के साथ साझा किया गया है। "सीएजी" के रूप में संदर्भित), और सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति (इसके बाद "पीएसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया था और यह सार्वजनिक क्षेत्र में है "जिसे हमने इसके बाद निर्धारित किया हैः

" सरकार पहले ही कैग के साथ मूल्य निर्धारण का विवरण साझा कर चुकी है। सी. ए. जी. की रिपोर्ट की जांच पी. ए. सी. द्वारा सामान्य रूप से की जाती है। रिपोर्ट का केवल एक संशोधित संस्करण

संसद के समक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है।

7. तदनुसार प्रार्थना की अनुमति है।

8. आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

आर. पी. (सीआरएल।) डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) में No.46/2019 No.298/2018
आर. पी. (सीआरएल।) नं. डब्ल्यू. पी. में 122/2019। (सीआरएल।) नं. 297/2018 (पीआईएल)

डब्ल्यू)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(आई. ए. नं. 29248/2019-प्रारंभिक आपराधिक प्रक्रियाएं सी. आर. पी. सी. की यू/एस 340)

आर. पी. (ग) डब्ल्यू. पी. में संख्या 719/2019। (ग) सं. 1205/2018 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू)

9. पुनर्विचार याचिकाओं को अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई थीं।

10. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि जहां तक महान्यायवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है, कुछ दस्तावेजों की मांग की गई है -

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, उस पहलू पर हमारे दिनांकित 10.4.2019 आदेश द्वारा विचार किया गया था और उक्त प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

11. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जब तक रिकॉर्ड के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, तब तक ये समीक्षा आवेदन नहीं हैं।

मनोरंजन करने की आवश्यकता है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत आवेदन आंशिक रूप से निकलता है। भारत संघ द्वारा दायर आदेश में सुधार के लिए आवेदन पर आज पारित हमारे आदेश में जिस पहलू पर चर्चा की गई है।

12. हमने 'निर्णय लेने की प्रक्रिया', 'मूल्य निर्धारण' और 'ऑफसेट' के शीर्षों के तहत अपने दिनांकित 14.12.2018 आदेश में पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार किया है। हालाँकि, इन पहलुओं से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमने ऐसी प्रकृति के मामलों में जांच की रूपरेखा निर्धारित की थी। इस संदर्भ में हमारी राय थी कि अनुबंध, खरीद आदि के मामलों में अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा अनुबंध की विषय वस्तु के अनुसार अलग-अलग होगी और न्यायिक समीक्षा की गहराई का एक समान मानक नहीं हो सकता है जिसे काम के पुरस्कार या माल/सामग्री की खरीद के सभी मामलों में लागू होने के लिए बोर्ड सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है। वास्तव में, जब इनमें से दो रिट याचिकाओं को न्यायालय के समक्ष 10.10.2018 पर सूचीबद्ध किया गया था, तो हमने इस तथ्य के बावजूद एक सीमित जांच शुरू की थी कि हम कथन की पर्याप्तता और रिट याचिकाओं में सामग्री से संतुष्ट नहीं थे। न्यायालय का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता के साथ खुद को संतुष्ट करना था।

13. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम विमानों के लिए एक अनुबंध के साथ काम कर रहे हैं, जो विभिन्न सरकारों के समक्ष लंबित था

काफी समय से और उन विमानों की आवश्यकता पर कभी विवाद नहीं हुआ है। इस प्रकार, हमने पैरा 34 में यह निष्कर्ष निकाला था कि उपरोक्त तीन पहलुओं के अलावा, वह भी एक सीमित सीमा तक, इस न्यायालय ने यशवंत सिन्हा बनाम.

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है। [संजय किशन कौल, जे।]

घूम-घूम कर और मछली पकड़ने के बारे में पूछताछ करना उचित नहीं समझते हैं। हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान देने के लिए सतर्क थे कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के संदर्भ में था, जिसे अधिकार क्षेत्र में लागू किया गया था।

14. समीक्षा याचिकाओं के दौरान, हमारे सामने यह दिखाया गया था कि सरकार ने स्पष्ट रूप से गलत पर निर्भरता रखी थी

दस्तावेज़। एक पहलू वही है जो सुधार के लिए आवेदन पर आज पारित हमारे आदेश द्वारा निपटा गया है और इस प्रकार, आगे किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

15. समीक्षा याचिका No.46/2019 में विशेष रूप से उठाया जाने वाला दूसरा पहलू यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना एफ. आई. आर. के पंजीकरण और सी. बी. आई. द्वारा जांच के लिए थी, जिस पर विचार नहीं किया गया है और तथ्यों के विवादित प्रश्नों की जांच और जांच के लाभ के बिना न्यायपालिका द्वारा अनुबंध की समय से पहले समीक्षा की गई है। 16. हम इसे इस कारण से एक उचित निवेदन नहीं मानते हैं कि इसमें याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सहित सभी वकील

उपरोक्त सभी तीन पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि एफ. आई. आर. के पंजीकरण और आगे की जांच के लिए प्रार्थना की गई थी, लेकिन फिर एक बार हमने तीनों की जांच कर ली। गुण-दोष संबंधी पहलुओं को हम जारी करना उचित नहीं मानते थे।

निर्देश, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसमें स्वचालित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश शामिल थे, के लिए अनुरोध किया गया था।

17. जहाँ तक मूल्य निर्धारण के पहलू का संबंध है, न्यायालय ने उपलब्ध कराई गई सामग्री से खुद को संतुष्ट किया। मूल्य निर्धारित करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है और न ही उस मामले के लिए ऐसे पहलुओं से केवल उन व्यक्तियों के संदेह पर निपटा जा सकता है जो निर्णय लेते हैं

अदालत का रुख करें। इस तरह के मूल्य निर्धारण का आंतरिक तंत्र स्थिति का ध्यान रखेगा। दस्तावेजों को देखने पर हमने पाया कि सेब और संतरे की तुलना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, बुनियादी विमान की कीमत की तुलना की जानी थी जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मामूली रूप से कम थी। विमान में क्या लोड किया जाना चाहिए या नहीं और आगे क्या मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, यह सक्षम अधिकारियों के सर्वोत्तम निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। 18. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि "गैर-मौजूद सीएजी रिपोर्ट" के बारे में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन फिर हम दोहराने की कीमत पर

बता दें कि यह सुधार के लिए आदेश का हिस्सा है जिसे हमने ऊपर पारित किया है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. यह याचिकाकर्ताओं का निर्णय था कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया था।

जांच की रूपरेखा की सीमा और अन्य उपचारों का सहारा नहीं लेना जो उपलब्ध हो। याचिकाकर्ताओं को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इस उपाय का सहारा लेने के बाद, वे एक ऐसी निर्णय प्रक्रिया चाहते हैं जो वास्तव में उनके द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के तहत परिकल्पित प्रक्रिया से अलग हो।

20. जहां तक निर्णय लेने की प्रक्रिया का संबंध है,

प्राप्त कुछ दस्तावेजों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देना चाहा कि विरोधाभासी सामग्री थी। हालाँकि, हमने पाया कि निर्णय के दौरान निस्संदेह राय व्यक्त की गई थी प्रक्रिया बनाना, जो लिए गए निर्णय से अलग हो सकता है, लेकिन फिर किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस और विशेषज्ञ की राय की परिकल्पना की जाती है और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के पास होता है, जिसने इसका प्रयोग किया। इस संदर्भ में (ए) रक्षा अधिग्रहण परिषद ('डीएसी') द्वारा दी गई आवश्यकता की स्वीकृति ('एओएन') अनुबंध से पहले उपलब्ध नहीं थी, जो विमानों की आवश्यकता और मात्रा निर्धारित करती; (बी) रक्षा खरीद की आवश्यकता के बावजूद फ्रांस द्वारा दी गई संप्रभु गारंटी का अभाव।

प्रक्रिया ('डी. पी. पी.'); (सी) बेंचमार्क मूल्य में कुछ वृद्धि के संबंध में भारतीय वार्ता दल ('आई. एन. टी.') के तीन विशेषज्ञ सदस्यों की आपत्तियों की निगरानी; और (डी) रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ('आर. ए. एल.') को ऑफसेट भागीदार के रूप में शामिल करना। 21. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं का प्रयास अनुबंध के प्रत्येक पहलू को निर्धारित करने के लिए खुद को एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में समझना है और न्यायालय से भी ऐसा करने का आह्वान करना है। हम नहीं मानते कि यह प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र है। सभी पहलुओं पर सक्षम प्राधिकारी और विभिन्न विचारों द्वारा विचार किया गया था

व्यक्त किया गया और विचार किया गया। अभिलेख में अलग-अलग राय रखना लगभग असंभव हो जाएगा यदि प्रत्येक

अनुबंध में प्रवेश करने से पहले राय का अनुपालन किया जाना था। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस के उद्देश्य को विफल कर देगा।

22. जहाँ तक उपरोक्त याचिकाओं का संबंध है, यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के लिए कुछ पहलू उपलब्ध नहीं थे

निर्णय का समय और बाद में उनके द्वारा प्रकाश में आया था " सोर्सिंग "जानकारी। हम एक बार फिर, प्रत्येक खंड का विश्लेषण करने का एक विस्तृत अभ्यास शुरू करने से इनकार करते हैं, यह देखते हुए कि यशवंत सिन्हा बनाम क्या हो सकता है।

केंद्रीय अन्वेषण केंद्र। यह डी. आई. आर. है। [संजय किशन कौल, जे।]

अलग-अलग राय, फिर यह निर्णय लेना कि क्या ऐसे तकनीकी मामलों में अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए था या नहीं।

23. एक पहलू पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने गलत अर्थ लगाया था कि सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक समूह के थे

चूंकि दोनों भाइयों ने दो अलग-अलग समूहों का आयोजन किया और पहले

यह मामला आपूर्तिकर्ताओं पर छोड़ दिया गया है और हमें नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। 24. उपरोक्त कारणों से ही हम पाते हैं कि धारा 340 के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था

Cr.P.C। 25. इस प्रकार, हमारा विचार है कि पुनर्विचार याचिकाएं बिना किसी योग्यता के हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं, एक बार फिर से जोर देते हुए।

कि हमारा मूल निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 की रूपरेखा के भीतर आधारित था।

CONMT.PET। (सीआरएल.) नं. आर. पी. में 3/2019। (सीआरएल।) नं. 46/2019

डब्ल्यू. पी. में (सीआरएल।) नं. 298/2018 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू)

26. अवमानना याचिका कई मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में दिए गए बयानों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ एक आरोप से उत्पन्न होती है।

10.4.2019 पर उनके द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि

" चौकीदार (श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री) एक चोर है। उच्चतम न्यायालय को भी इसके अनुरूप होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था उनका क्या कहना था, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने वायु सेना से पैसा चुराकर श्री अनिल अंबानी को दे दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि श्री मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चौकीदार चोर है।

27. नोटिस जारी होने पर, दिनांक 22.4.2019 का जवाब हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि टिप्पणियां एक प्रमाण के आधार पर की गई थीं

आदेश के प्रति पूर्ण विश्वास और सामान्य समझ, भले ही अवमानकर्ता को स्वयं उस स्तर पर आदेश को देखने, पढ़ने या विश्लेषण करने का अवसर नहीं मिला था। यह भी कहा गया कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में किसी भी तरह से कुछ भी इंगित करने का जरा भी इरादा नहीं था, जैसा कि बयानों द्वारा दिया गया था।

एक "पल की गर्मी में अलंकारिक फलता-फूलता है" और वह [2019] 17 एस. सी. आर.

उनके बयान का उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा उपयोग और दुरुपयोग किया गया है

परियोजना कि उन्होंने जानबूझकर उच्चतम न्यायालय को बयानों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उस संदर्भ में, यह कहा गया था कि "मेरे दिमाग से इससे दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय कभी ऐसा नहीं करेगा और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भ (जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं) अदालती आदेश और राजनीतिक नारे के साथ-साथ राजनीतिक प्रचार की गर्मी में एक ही सांस को इस सुझाव के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि अदालत ने उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष या निष्कर्ष दिया था।

28. इस तरह के हलफनामे की स्वीकृति का याचिकाकर्ता, भाजपा सांसद ने अवमानना याचिका में विरोध किया था। यह कहा गया था कि किसी भी पश्चाताप या माफी की अभिव्यक्ति के बजाय, प्रयास करें

अवमाननापूर्ण बयान को सही ठहराने के लिए बनाया गया था क्योंकि यह पल की गर्मी में दिया गया था।

29. इस संदर्भ में हुई दलीलों पर, और मामले की गंभीरता और हलफनामे की अपर्याप्तता को महसूस करते हुए, सीखा गया अवमानकर्ता के वकील ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता ली। 30.4.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने स्वीकार्यता और स्वीकृति को छोड़ दिया

इस तरह के शपथ पत्र पर बाद की तारीख को विचार किया जाना है। 8.5.2019 पर एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि अवमानकर्ता ने इस न्यायालय को सर्वोच्च सम्मान और सम्मान दिया और कभी भी न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखा। उनके द्वारा यह कहते हुए बिना शर्त माफी मांगी गई थी कि आरोप पूरी तरह से अनजाने में, गैर-जानबूझकर और अनजाने में थे।

30. इस मामले को एक बार फिर विद्वान वकील द्वारा संबोधित किया गया था। हमने इस मुद्दे पर विचारपूर्वक विचार किया है।

31. हमें ध्यान देना चाहिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना सत्यापन या यहां तक कि इस बात पर विचार किए कि आदेश क्या पारित किया गया है, अवमानकर्ता ने बयान देना उचित समझा जैसे कि इस न्यायालय ने एक प्रधान मंत्री के खिलाफ उनके आरोपों के लिए अपमानजनक, जो सच्चाई से बहुत दूर था। यह एक वाक्य या एक बार का अवलोकन नहीं था, बल्कि अलग-अलग तरीकों से एक बार-बार दिया गया बयान था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवमानकर्ता को कहीं अधिक सावधान रहना चाहिए था।

32. इस मामले को 20 पन्नों का हलफनामा दाखिल करके और जटिल बना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेज संलग्न किए गए थे। गलती स्वीकार करना और बिना शर्त माफी मांगना। सलाह पर बेहतर ज्ञान केवल बहस के दौरान उत्पन्न हुआ-यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण केंद्र। यह डी. आई. आर. है। [संजय किशन कौल, जे।]

इसके बाद जब एक बाद का हलफनामा दिनांक 8.5.2019 दायर किया गया था। हमारा मानना है कि राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका प्रचार अभियान क्या होना चाहिए, इस पर एक राजनीतिक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय या उस मामले के लिए किसी भी न्यायालय को इस राजनीतिक विमर्श में वैध या अमान्य नहीं घसीटा जाना चाहिए, जबकि उन पहलुओं को न्यायालय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो न्यायालय द्वारा कभी नहीं रखे गए थे। निश्चित रूप से श्री गांधी को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। 33. हालांकि, बाद के हलफनामे को देखते हुए, बेहतर समझ होने के कारण, हम इन कार्यवाही को आगे जारी नहीं रखना चाहेंगे और इस प्रकार, अवमानना करने वाले को भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए सावधानी के साथ अवमानना कार्यवाही को बंद कर देंगे।

(आई. ए. नहीं. 69008/2019-स्पष्टीकरण/निर्देश, आई. ए. नहीं. 69006/2019-हस्तक्षेप आवेदन,

आई. ए. नं. 71047/2019-अभिलेखों का उत्पादन और

आई. ए. नं. 69009/2019-आवेदन करते रहें)

34. ऊपर पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, ये आवेदन विचार के लिए जीवित नहीं रहते हैं और इनका निपटारा कर दिया जाता है। अन्य लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

के. एम. जोसेफ, जे.

1. मैंने अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा प्रस्तावित आदेश को पढ़ा है। हालांकि मैं अपने द्वारा विचार किए गए कुछ पहलुओं के अधीन अंतिम निर्णय से सहमत हूं, मैं अपनी अलग राय से अपने कारण दूंगा, जो नीचे दिए गए हैं।

2. चार रिट याचिकाओं में सामान्य निर्णय ने तीन समीक्षा याचिकाएं, एक अवमानना याचिका और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत एक याचिका (इसके बाद संक्षेप में 'Cr.PC' के रूप में संदर्भित) और सुधार की मांग करने वाला एक आवेदन उत्पन्न किया है। 3. 2019 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 46 याचिकाकर्ताओं द्वारा 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में दायर की गई है। उक्त रिट याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक एफ. आई. आर. दर्ज करने और

याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत की जाँच करें और आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रार्थना के खंड 'ए' से 'ई' में दिए गए उत्कीर्णन को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

मैंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें 4 अक्टूबर, 2018 को याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर प्रतिवादी संख्या 1 को एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देना।

मैंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें

उत्तरदाता संख्या 1 को जाँच करने का निर्देश देना उक्त शिकायत में समयबद्ध तरीके से प्रकट किए गए अपराध और न्यायालय को आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी भी तरह से अधिकारियों को प्रभावित करने या डराने-धमकाने से रोकने और बचने का निर्देश देते हुए आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।

में प्रकट किए गए अपराधों की जांच करेगा

शिकायत करें। शिकायत में उल्लिखित अपराधों की जांच करने वाले सी. बी. आई. अधिकारियों का स्थानांतरण न करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश देते हुए आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित अभिलेख नष्ट नहीं किए गए हैं या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और उन्हें सी. बी. आई. को हस्तांतरित किया गया है, आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त आदेश जारी करें।

2019 की ई. डब्ल्यू. याचिका (आपराधिक) संख्या 122 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 297 द्वारा दायर की गई है। मांगी गई राहत

यह याचिका इस प्रकार हैः

एक विशेष जाँच दल (एस. आई. टी.) का गठन करना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख के साथ निम्नलिखित आदेशः

आई. पहले रद्द करने के कारणों की जांच करना

126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सौदा।

ii. इस तरह की अत्यधिक संवेदनशील रक्षा खरीद से जुड़ी औपचारिकताओं के बिना 36 लड़ाकू विमानों का आंकड़ा कैसे प्राप्त किया गया।

iii. प्रत्यर्थी द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखने के लिए

नं. 2 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत के बारे में पहले की कीमत Rs.526 करोड़ प्रति लड़ाकू विमान ह्वांट सिन्हा बनाम को देखते हुए।

केंद्रीय सीमा शुल्क टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

आवश्यक उपकरणों, सेवाओं और हथियारों के साथ जेट और बिना संबद्ध के Rs.670 करोड़ उपकरण, हथियार, भारत विशिष्ट संवर्द्धन, रखरखाव सहायता और सेवाएं; जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक लड़ाकू विमान की कीमत में वृद्धि हुई

Rs.526 करोड़ से 1500 करोड़ से अधिक;

iv. यह जांच करने के लिए कि कैसे एक नौसिखिया कंपनी। रिलायंस डिफेंस बिना किसी प्रकार के अनुभव और विशेषज्ञता के 1,000 करोड़ रुपये के इस अत्यधिक संवेदनशील रक्षा सौदे की तस्वीर में आया।

लड़ाकू विमानों के निर्माण में।

वी. 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' का नाम क्यों रखा गया

सौदे से हटा दिया गया था?

vi. क्या केवल 36 की खरीद का निर्णय

126 के बजाय राफेल लड़ाकू विमान एक था देश की सुरक्षा से समझौता करें या न करें?

vii. चाहे रिलायंस डिफेंस हो या उसकी सहयोगी संस्था हो या किसी अन्य व्यक्ति या मध्यस्थ कंपनी ने काफी अधिक कीमतों पर राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के निर्णय लेने को प्रभावित किया हो।

फ्रांसीसी गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा जूली गायेट की फर्म रूज इंटरनेशनल में किए गए निवेश की पृष्ठभूमि में एचएएल को हटाने और रिलायंस डिफेंस को दसॉल्ट के भागीदार के रूप में शामिल करने के निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया था।

न्यायालय; 126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए पहले के सौदे को बहाल करने के लिए जिसे सरकार द्वारा 24.06.2015 पर रद्द कर दिया गया था। भारत से।

9] 17 एस सी आर।

(घ) डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने के लिए

(डी. आर. ए. एल.) राफेल लड़ाकू विमानों के संचालन/निर्माण से;

(ई) प्रतिवादी 1 और 2 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को डसॉल्ट के भारतीय ऑफसेट भागीदार के रूप में प्रस्तावित करने का निर्देश देना;

5. 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1205 में एकमात्र याचिकाकर्ता द्वारा 2019 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 719 फिर से दायर की गई है। उक्त रिट याचिका में मांगी गई राहत इस प्रकार हैः

" क) एक उपयुक्त रिट या आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को 36 राफेल की खरीद के संबंध में भारत संघ और फ्रांस सरकार के बीच हुए समझौते का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।

एक सीलबंद लिफाफे में लड़ाकू विमान।

ख) एक उचित रिट या आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादियों को एक सीलबंद लिफाफे में राफेल लड़ाकू विमानों की वर्तमान लागत और यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों की पिछली लागत के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया जाए। ग) राफेल की खरीद में हुए विवाद के संबंध में प्रतिवादियों को सीलबंद लिफाफे में कोई अन्य जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक उपयुक्त रिट या आदेश या निर्देश जारी करें।

लड़ाकू विमान; "

द इम्प्यूज्ड जजमेंट

6. तीन रिट याचिकाएँ, साथ ही रिट याचिका भी जिसमें नहीं

समीक्षा दायर की जाती है, खारिज की जाती है। इस न्यायालय ने उन राहतों का उल्लेख किया है जो चार रिट याचिकाओं में मांगी गई हैं। इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के मापदंडों का उल्लेख किया। अनुबंधों, खरीद आदि की अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा अनुबंध के विषय के साथ भिन्न पाई गई। यह भी कहा गया कि न्यायालय के समक्ष चुनौतियों की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, क्योंकि खरीद का विषय राष्ट्र की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।

7. पैराग्राफ 15 में इस न्यायालय के निष्कर्ष विवाद पर प्रकाश डालते हैं जैसा कि न्यायालय ने समझा था। पैराग्राफ 15 इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 15. यह उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में है और न्यायिक समीक्षा की कुछ सीमित शक्ति कि, हम

अभिनिर्धारित किया है, वर्तमान मामले में उपलब्ध होगा कि

अब हम इस विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं

रिट याचिकाएँ जो तीन व्यापक क्षेत्रों को उठाती हैं

चिन्ता, अर्थात् (i) निर्णय लेने की प्रक्रिया; (ii) मूल्य निर्धारण में अंतर; और (iii) आई. ओ. पी. का विकल्प।

(जोर दिया गया)

8. इसके बाद, यह न्यायालय निर्णय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा।

एन. जी. प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और ऑफसेट और इसके पक्ष में नहीं मिला ओनर्स। चर्चा के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि

न्यायालय अंततः इस प्रकार निष्कर्ष निकालता हैः

" 33. एक बार फिर, यह न तो उचित है और न ही इसके भीतर है

इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए इस न्यायालय का अनुभव क्या है

तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। मुद्दा यह है कि डी. पी. पी. 2013

यह परिकल्पना की गई है कि विक्रेता/ओ. ई. एम. अपने स्वयं के आई. ओ. पी. का चयन करेगा। इसमें

प्रक्रिया में, सरकार की भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है और इस प्रकार,

केवल प्रेस साक्षात्कार या सुझाव आधार नहीं बन सकते हैं

इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा, विशेष रूप से जब स्पष्ट हो

दोनों पक्षों द्वारा प्रेस में दिए गए बयानों का खंडन। हमें यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं मिलती है कि

यह भारतीय द्वारा किसी भी पक्ष के लिए व्यावसायिक पक्षपात का मामला है।

आई. ओ. पी. चुनने का विकल्प सरकार के पास नहीं है

भारत सरकार।

निष्कर्ष 34. तीनों पहलुओं पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, और

मामले को विस्तार से सुना, हमें किसी भी हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिला

36 प्रतिरक्षा की खरीद के संवेदनशील मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा

भारत सरकार द्वारा विमान। व्यक्तियों की धारणा

विशेष रूप से ऐसे मामलों में। इस प्रकार, हम सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, इसे पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दें। लेकिन हम,

यह स्पष्ट करें कि ऊपर दिए गए हमारे विचार मुख्य रूप से के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का दृष्टिकोण

भारत का संविधान जो वर्तमान में लागू किया गया है

मामलों का समूह "।

(जोर दिया गया)

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. पुनरीक्षण याचिकाओं और आवेदनों पर विचार करने पर, दिनांक 26.02.2019 के आदेश द्वारा, खुली अदालत में सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था अनुमति दी गई। हमने विद्वानों की सलाह सुनी है। हमने 2019 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 46 में पक्षों, विद्वान अटॉर्नी जनरल और विद्वान सॉलिसिटर जनरल को सुना।

उन्नत लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रक्रिया (डी. पी. पी.), और डी. पी. पी. के तहत प्राधिकरण के अनुसार, आई. ए. एफ. सेवा मुख्यालय ने कई संस्थानों के साथ व्यापक रूप से परामर्श प्रक्रिया के बाद, 126 के रूप में आवश्यक विमानों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए सेवा गुणात्मक आवश्यकताएं (एस. क्यू. आर.) तैयार कीं। समिति की सिफारिश थी कि हस्तांतरण प्रौद्योगिकी समझौते के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.) द्वारा मेक इन इंडिया खरीद का माध्यम होना चाहिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रदान किया आवश्यकता की अनिवार्य स्वीकृति (ए. ओ. एन.)। तदनुसार, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.) जारी किया गया। छह विक्रेता थे। 2011 में, यह

यह घोषणा की गई कि दसॉल्ट का राफेल और यूरोफाइटर जीएमबीएच टाइफून भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मार्च 2014 में, डसॉल्ट एविएशन और एचएएल के बीच एक कार्य साझेदारी समझौता किया गया था। तदनुसार, एच. ए. एल. 108 विमानों पर 70 प्रतिशत काम करेगी। आईडी1 पर, यह आरोप लगाया गया है कि डसॉल्ट 126 विमानों के लिए भारत के साथ बातचीत के अंतिम चरण में था और एचएएल को डसॉल्ट का भागीदार होना था।

12. यह याचिकाकर्ताओं का अगला मामला था कि एक नया सौदा, हालांकि, प्रधान मंत्री द्वारा अस्पष्ट रूप से बातचीत और घोषणा की गई थी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मंत्री। विमानों की संख्या घटाकर 36 कर दी गई। इसमें सभी निर्धारित रक्षा खरीद प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन शामिल था। इनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं।

126 के स्थान पर 36 विमान खरीदने का सौदा। विशेष रूप से, श्री अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली किसी भी कंपनी का उल्लेख नहीं है।

ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए पात्र उत्पादों और सेवाओं की सूची में उल्लिखित उत्पादों और सेवाओं का निर्माण। एक कंपनी थी

28.03.2015 पर रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के रूप में निगमित, केवल बारह यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

नए सौदे की घोषणा से कुछ दिन पहले अचानक 10.04.2015 पर की गई थी। ऐसा भी मामला है कि डी. पी. पी. को संपार्श्विक के लिए छोड़ दिया गया था

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जैसा कि संशोधन से पहले था। उनका अनुरोध उन प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने का है जो हैं - उसमें उल्लिखित जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है,

1988 और मामले की जांच करने के लिए। अन्य राहत पहले से ही संदर्भित हैं

को।

13. उक्त मामले में याचिकाकर्ता, ललिता कुमारी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपने मामले का आधार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार

और अन्य 1. यह उनका मामला है कि हालांकि फैसले की शुरुआत में राहत का संदर्भ दिया गया था, उसके बाद, इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के तहत उसे उपलब्ध शक्तियों के संदर्भ में केवल मामले के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में याचिकाकर्ताओं की एकमात्र प्रार्थना, जैसा कि देखा गया है, ललिता कुमारी (उपरोक्त) के आदेश का पालन करने और एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश था क्योंकि उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है जिसे रिट याचिका के साथ प्रस्तुत किया गया है और क्योंकि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनिवार्य रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस अदालत का रुख किया। संविधान पीठ के प्रभाव पर विचार न करने में भी त्रुटि स्पष्ट है और समीक्षा याचिका के माध्यम से इसका निवारण करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता, निस्संदेह, यह भी इंगित करते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा तथ्यों का दमन किया गया था। इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। एक मामला यह भी है कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए हैं जो बताते हैं कि समानांतर बातचीत हुई थी

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा किया जा रहा है जिसका भारतीय वार्ता दल (आईएनटी) द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। फैसले में यह बयान कि मूल्य निर्धारण विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के साथ साझा किया गया है और सीएजी की रिपोर्ट की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा जांच की गई है और रिपोर्ट का केवल एक संशोधित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया है, स्पष्ट रूप से गलत बताया गया है। यह मुख्य रूप से उसी के संबंध में है कि एक आवेदन Cr.PC की धारा 340 के तहत दायर किया जाता है। सुधार के लिए एक आवेदन है और तथ्यों के थोक दमन की शिकायत है। त्रुटियों का भी उल्लेख किया जाता है।

14. भारत सरकार का रुख है कि समीक्षा याचिकाएं बेमानी हैं। इस न्यायालय ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है

1 (2014) 2 एससीसी 1 [2019] 17 एस. सी. आर.

और पाया कि कुछ भी गलत नहीं था। यह है मामला

सरकार ने कहा कि विवादित निर्णय राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक जांच के दायरे के संबंध में बाध्यकारी सिद्धांतों पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों को संबोधित करता है

किसी औद्योगिक समूह को लाभ पहुँचाने के लिए शुरू में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है, इसे पूरी तरह से अस्वीकार किया जाता है। संप्रभुता/बैंक गारंटी की छूट सरकार से सरकार के बीच समझौतों को असामान्य नहीं माना जाता है।

सीएजी की रिपोर्ट से समर्थन प्राप्त करने की मांग की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया है कि फ्रांसीसी सरकार को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार बनाया गया था। उत्पादन और वितरण कार्यक्रम की निगरानी फ्रांस और भारत दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है।

16. जहाँ तक ललिता कुमारी (ऊपर) के जनादेश की बात है,

इसके बाद, यह कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया यह खुलासा करना कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, अनिवार्य है, जिसका वर्तमान मामले में अभाव है

विशेष रूप से एक बार जब यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और भारतीय ऑफसेट भागीदारों पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब इस न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि व्यक्तियों की धारणा मछली पकड़ने और भटकने वाली जांच का आधार नहीं हो सकती है, तो प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया जाता है ताकि प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जा सके। तथ्यों को छिपाया नहीं जाता है या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

जूरी की समीक्षा करने वाले सदस्य

17. संविधान का अनुच्छेद 137 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। वह इस प्रकार हैः

" 137. संसद या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा

2 (2018) 8 एस. सी. सी. 149 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा घोषित किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

18. नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के रूप में जाना जाता है। उक्त नियमों का आदेश XLVII, समीक्षा से संबंधित है (ई. एम. ई. कोर्ट रूल्स, 1966, यह ऑर्डर एक्स. एल. में निहित था) और यह पढ़ता है

कमियाँः

" ऑर्डर XLVII

समीक्षा

1. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि संहिता के आदेश XLVII, नियम I में उल्लिखित आधार, और एक स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर एक आपराधिक कार्यवाही में

रिकॉर्ड के चेहरे पर।

समीक्षा के लिए आवेदन के साथ रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का एक प्रमाण पत्र होगा जो यह प्रमाणित करता है कि यह समीक्षा के लिए पहला आवेदन है और इसके तहत स्वीकार्य आधारों पर आधारित है।

नियम।

2. पुनरीक्षण के लिए आवेदन एक याचिका द्वारा किया जाएगा, और पुनरीक्षण के लिए मांगे गए निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आधार निर्धारित करेगा -

समीक्षा करें। 3. जब तक कि अदालत द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, समीक्षा के लिए एक आवेदन का बिना किसी मौखिक के संचलन द्वारा निपटान किया जाएगा।

लेकिन याचिकाकर्ता अतिरिक्त लिखित तर्कों द्वारा अपनी याचिका का पूरक हो सकता है। न्यायालय या तो याचिका को खारिज कर सकता है या विरोधी पक्ष को सीधे नोटिस दे सकता है। जहां तक संभव हो, समीक्षा के लिए एक आवेदन उसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा जिसने वांछित निर्णय या आदेश दिया था।

समीक्षा की जाए।

4. जहां पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन पर न्यायालय कानून या तथ्य की गलती के आधार पर मामले में अपने पूर्व निर्णय को उलट देता है या संशोधित करता है, वहां न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना उचित समझता है, तो याचिकाकर्ता को आवेदन पर पूरे या आंशिक रूप से भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी का निर्देश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

5. जहाँ किसी निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन

यदि किया गया है और निपटाया गया है, तो उसी मामले में समीक्षा के लिए आगे कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. इस प्रकार, उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिकार क्षेत्र का न्यायालय, एक दीवानी मामले में समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए, संहिता के आदेश XLVII नियम 1 के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रतिरूप है।

प्रक्रिया, 1908 (इसके बाद संक्षेप में 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित)।

20. सी. पी. सी. का आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 इस प्रकार हैः

" आदेश XLVII: समीक्षा

1. फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन

(1) कोई भी व्यक्ति जो खुद को दुखी समझता है

(क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे एक अपील की अनुमति है, लेकिन किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई है,

(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील नहीं की जाती है

अनुमति है, या

(ग) लघु न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा

कारण,

और जो, नए और महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज से या

सबूत जो, उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब

अन्य पर्याप्त कारण, डिक्री की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा उसके खिलाफ पारित या आदेश, की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं

न्यायालय को निर्णय जिसने डिक्री पारित की या

आदेश दें।

(2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी के लिए समान है, या जब, प्रतिवादी होने के नाते, वह अपील न्यायालय में वह मामला पेश कर सकता है जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है।

स्पष्टीकरण। - तथ्य यह है कि कानून के प्रश्न पर निर्णय

जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, उसे उलट दिया गया है या यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा संशोधित

अन्य मामला, इस तरह की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा

फैसला "।

21. यह ध्यान दिया जाएगा कि आपराधिक मामलों में, समीक्षा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड स्थापित होने पर निर्भर करती है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य नहीं है कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने नं. ईश्वरा अय्यर और अन्य बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 3:

" 34. नियम [एड।: आदेश 40, उच्चतम न्यायालय के नियमों का नियम 1] अपने चेहरे पर, आदेशों की समीक्षा के लिए व्यापक आधार प्रदान करता है।

9

दीवानी कार्यवाहियों में, लेकिन आपराधिक कार्यवाहियों के आधार को "अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटियों" तक सीमित करता है। अगर

जब जीवन या स्वतंत्रता खतरे में हो तो न्यायिक त्रुटि से बचने के लिए कानून की चिंता बढ़नी चाहिए क्योंकि नागरिक दंड अक्सर कम दर्दनाक होते हैं। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि नियमों के निर्माता आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रख सकते थे। इसके विपरीत होने की संभावना है। मान लीजिए कि किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दी गई है

सर्वोच्च न्यायालय और "मृतक" अदालत में दिखाई देते हैं और अदालत को दर्ज की गई गवाही के दुखद विश्वासघात का पता चलता है। क्या अदालत फांसी की सजा की समीक्षा करने और उसे रद्द करने में असहाय है? हम नहीं सोचते हैं। पुनरीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 137 में है और यह सभी कार्यवाहियों में समान रूप से व्यापक है। नियम केवल बिजली के भंडार से प्रवाह को प्रवाहित करता है। धारा को दबाया नहीं जा सकता स्रोत। इसके अलावा, व्याख्या की गतिशीलता संदर्भ की मांग और परीक्षण की शाब्दिक सीमाओं पर निर्भर करती है। यहाँ "अभिलेख" का अर्थ है कोई भी सामग्री जो पहले से ही अभिलेख में है या न्यायालय की अनुमति से अभिलेख पर लाई जा सकती है। यदि न्याय न्यायाधीशों को किसी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुमति देने के लिए बुलाता है, तो यह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और यदि स्पष्ट त्रुटि है, तो सुधार आवश्यक हो जाता है।

35. उद्देश्य सादा है, भाषा लोचदार और व्याख्या है।

एक आवश्यक शक्ति स्वाभाविक रूप से विस्तृत होनी चाहिए। द.

मूल शक्ति अनुच्छेद 137 से प्राप्त होती है और आपराधिक के लिए उतनी ही व्यापक है जितनी कि दीवानी कार्यवाही के लिए। यहाँ तक कि अंतर भी

नियम में वाक्यांश विज्ञान (आदेश 40 नियम 2), इसलिए, एक ही क्षेत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए और विसंगति के उत्पादक कृत्रिम विचलन को शामिल करने के लिए नहीं। यदि अभिव्यक्ति "रिकॉर्ड" है

मतलब के लिए पढ़ें, इसके शब्दार्थ में, कोई भी सामग्री बाद में भी रिकॉर्ड में लाया गया, अदालत की अनुमति के साथ, यह गले लगेगा

बाद की घटनाएं, नई रोशनी और अन्य आधार जो हम पाते हैं

आदेश 47 नियम 1, सी. पी. सी. हम कोई अपूरणीय कठिनाई नहीं देखते हैं

समीक्षा करते समय दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में क्षेत्र की बराबरी करना

शक्ति का आह्वान उसी स्रोत से किया जाता है।

(जोर दिया गया)

22. सुथेन्द्रराज उपनाम सुथेन्थिरा राजा उपनाम संथान में

थर्स वी। डी. एस. पी./सी. बी. आई., एस. आई. टी., चेन्नइया के माध्यम से राज्य

पी. एन. ईश्वर अय्यर (ऊपर) में, यह माना गया था कि

घोषणा से समीक्षा का दायरा काफी बढ़ गया।

23. हरिदास दास बनाम। उषा रानी बनिक (श्रीमती) और अन्य,

उच्च न्यायालय में एक अपील से उत्पन्न हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय ने

टी ने समीक्षा के लिए प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 13. ..... मानदंड आदेश 47 सी. पी. सी. में निर्धारित किए गए हैं और

इस सूची के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी को एक के लिए दबाव डालने की अनुमति दें

कुछ गलती या स्पष्ट त्रुटि के कारण "पुनः सुनवाई" अभिलेख का चेहरा या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए "। द.

नियम का पूर्व भाग एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जिसके कारण

आवेदक, और बाद वाला एक न्यायिक कार्रवाई के लिए जो स्पष्ट रूप से है गलत या जिन पर दो निष्कर्ष संभव नहीं हैं। न ही

उनमें से एक विवाद की पुनः सुनवाई का अनुमान लगाते हैं क्योंकि एक पक्ष ने मामले के सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाला या शायद हो सकता है

उन्हें अधिक बलपूर्वक तर्क दिया और/या बाध्यकारी उदाहरणों का हवाला दिया

न्यायालय और इस प्रकार एक अनुकूल निर्णय का आनंद लिया। यह काफी है।

आदेश 47 के नियम 1 के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है जो कहता है

कि तथ्य यह है कि कानून के एक प्रश्न पर निर्णय जिस पर

न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है

किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय से,

ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं होगा। कहाँ? विचाराधीन आदेश अपील योग्य है जो पीड़ित पक्ष ने किया है

पर्याप्त और प्रभावी उपाय और अदालत को प्रयोग करना चाहिए

सबसे अधिक सावधानी के साथ अपने क्रम की समीक्षा करने की शक्ति।

99

(जोर दिया गया)

9) 9 एससीसी 323

5) 4 एस. सी. सी. 78 यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

24. जैन स्टूडियो लिमिटेड। इसके अध्यक्ष वी के माध्यम से। शिन सैटेलाइट पब्लिक

कं. Ltd.6 में न्यायाधीश द्वारा चैंबर्स में पारित एक आदेश शामिल था। यह पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा गया था जो शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम में बताया गया है। जैन स्टूडियो Ltd.7। मध्यस्थता याचिका में, जो मुख्य मामला था, समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। वही सुना और अस्वीकार कर दिया गया। विद्वत न्यायाधीश ने उक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 11. जहाँ तक योग्यता के आधार पर आवेदक की शिकायत है

संबंधित, प्रतिद्वंद्वी के लिए विद्वान वकील सही है

प्रस्तुत करते हुए कि वस्तुतः आवेदक वही राहत चाहता है जो

मुख्य मामले पर बहस करने के समय माँगा गया था और था

नकार दिया गया। एक बार इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, कोई समीक्षा नहीं याचिका होगी जो मूल की पुनः सुनवाई को परिवर्तित करेगी

बात है। यह तय कानून है कि समीक्षा की शक्ति नहीं हो सकती है अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित जो एक उच्च न्यायालय को सक्षम बनाती है

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी त्रुटियों को ठीक करना। यह नहीं है।

किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई। पुराने और अस्वीकृत की पुनरावृत्ति

निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए तर्क पर्याप्त नहीं है। द.

समीक्षा की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी, सावधानी के साथ किया जा सकता है।

और सावधानी और केवल असाधारण मामलों में "।

(जोर दिया गया)

25. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में v. कमल सेनगुप्ता और

अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 21. इस स्तर पर यह अवलोकन करना उचित है कि जहां एक समीक्षा नए पदार्थ या साक्ष्य की खोज के आधार पर माँगा जाता है,

ऐसा मामला या साक्ष्य प्रासंगिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए एक चरित्र जो अगर उसी का निर्माण किया गया था, तो यह हो सकता है

महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य पर्याप्त आधार नहीं है पूर्व ऋण न्याय की समीक्षा करें। इतना ही नहीं, पार्टी मांग रही है

समीक्षा से यह भी पता चलता है कि ऐसा अतिरिक्त मामला या साक्ष्य

इसकी जानकारी में नहीं था और देय के अभ्यास के बाद भी परिश्रम, उसी को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सका

इससे पहले "।

(जोर दिया गया)

6 (2006) 5 एस. सी. सी. 501 7 (2006) 2 एस. सी. सी. 628

8 (2008) 8 एस. सी. सी. 612

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस और एक अन्य वी। सबसे रेव.

वकील द्वारा जब कोई नहीं बनाया गया था। अदालत भी कर सकती है रियायत की शर्तों या रियायत के दायरे को गलत तरीके से समझना। जब इस तरह की गलत धारणा किसी निर्णय को रेखांकित करती है, तो क्या समीक्षा झूठ बोलेगी? उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 36. ..... पतंजलि शास्त्री, जे. (जैसा कि वे तब थे) अकेले बैठे थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से रेखांती चिन्ना में विचार लिया।

गोविंदा चेट्टियार बनाम। एस. वरदप्पा चेट्टियार [ए. आई. आर. 1940 मैड।

17] कि अदालत द्वारा दी गई रियायत की गलत धारणा

अधिवक्ता या पक्ष द्वारा अपनाए गए रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि

पहले भाग में निर्धारित आधारों के अनुरूप एक आधार हो

आदेश 47 नियम 1 के अर्थ के भीतर "अभिलेख"। हम कोई कारण नहीं देखते हैं। "अभिलेख" शब्द को बहुत ही सीमित अर्थ में इस रूप में समझने के लिए

डेनिंग, एल. जे. द्वारा रेक्स बनाम में किया गया था। नॉर्थम्बरलैंड

क्षतिपूर्ति अपील न्यायाधिकरण पूर्व पक्ष शॉ [(1952) 2 KB

338 पीपी में। 351-52] जो, प्रमाणपत्र का मामला था और इसमें शामिल हैं

उस अवधि के भीतर केवल वह दस्तावेज़ जो आरंभ करता है

कार्यवाहियां, अभिवचन और न्यायनिर्णयन और

साक्ष्य और अभिलेख के अन्य भाग। इसके अलावा, जब त्रुटि होती है

शिकायत की गई है कि अदालत ने मान लिया कि एक रियायत थी

किया गया था जब वास्तव में कोई नहीं बनाया गया था या कि अदालत

इसमें से, यह आम तौर पर रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देगा लेकिन इसे करना होगा जैसा कि सुझाव दिया गया है, एक हलफनामे के माध्यम से अदालत के समक्ष लाया जाए

प्रिवी काउंसिल के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा और यह केवल कर सकता है समीक्षा के माध्यम से किया जाए। वे मामले जिनके लिए संदर्भ है

इंगित किया गया है कि अदालत की गलत धारणा होनी चाहिए चेहरे पर एक त्रुटि के अनुरूप पर्याप्त कारण माना जाता है

रिकॉर्ड से। हमारी राय में इस पर भरोसा करने की अनुमति है फैसले की समीक्षा के लिए एक अतिरिक्त आधार के रूप में शपथ पत्र।

(जोर दिया गया)

9 9 एयर 1954 एससी 526 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

27. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने सीमित नहीं किया

शब्द "अभिलेख" संकीर्ण अर्थ में जिसमें इसकी व्याख्या रिट ऑफ सर्टिओरारी के आवेदन के मामले में की गई थी। यह न्यायालय भी

समीक्षा के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में इस संबंध में वकील द्वारा एक शपथ पत्र से स्वीकृत समर्थन प्राप्त किया जा रहा है। एक अदालत द्वारा गलत धारणा को "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति के दायरे में अपनाया गया था।

28. कानून के विशेष प्रावधान के लिए गैर-विज्ञापन,

जो एल. आई. एस. के लिए प्रासंगिक और प्रासंगिक था, उसे समीक्षा करने के लिए एक आधार माना गया था। गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एन. मेहता और अन्य 1, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 16. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील का आग्रह है कि यह

यह समीक्षा के लिए उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि यह केवल गलती का मामला है

निर्णय। लेकिन हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं।

क्योंकि बहस के समय हमारा ध्यान नहीं खींचा गया था

विशेष रूप से उप-धारा 23-सी (2) और उस पर फेंके जाने वाले प्रकाश के लिए उप-धारा (1) की व्याख्या। ”

(जोर दिया गया)

29. इसके अलावा, इस संबंध में देव नारायण सिंह बनाम में निर्णय देखें।

ददन सिंह और अन्य 1 1 जहाँ यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस न्यायालय ने निर्णय दिया था

एक कानून के आधार पर मामला, जो तथ्यों में लागू नहीं था, समीक्षा प्रदान की गई थी।

30. सौ चंद्र कांटे में और एक अन्य वी। शेख हबीब 1 2, द

निर्णय में किसी मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाले इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध शामिल था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम और अनिच्छुक उपाय है।

यह केवल तभी उचित है जब कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो।

अलग-अलग परामर्शों के माध्यम से पुरानी और खारिज की गई बातों को दोहराना तर्क, अप्रभावी रूप से ढकी हुई जमीन पर दूसरी यात्रा या

अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ स्पष्ट रूप से हैं अपर्याप्त। ..... "

(जोर दिया गया)

1 1 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 530 12 (1975) 1 एससीसी 674 [2019] 17 एस. सी. आर.

31. दो दस्तावेज, जो रिकॉर्ड का हिस्सा थे, थे

न्यायिक आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की अनुमति देने के लिए विचार किया गया। यह न्यायालय, अपील में, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम के फैसले में। अरिबम पिशक शर्मा और अन्य 1 3, निम्नानुसार पाए गए:

अनुमति दी गई थी जो शायद ही समीक्षा के लिए आधार थे। कि दोनों अभिलेख का हिस्सा रहे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया

अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करने के समय न्यायालय द्वारा

दस्तावेजों पर पक्षकारों द्वारा भी भरोसा नहीं किया गया था अनुच्छेद के तहत कार्यवाही में अदालत के समक्ष दायर हलफनामे

226. फिर से कि एक रिट याचिका के बजाय कई होनी चाहिए

दाखिल किया गया केवल प्रक्रिया का सवाल है जो निश्चित रूप से होगा

समीक्षा को उचित नहीं ठहराते। इसलिए हमारा मानना है कि

न्यायिक आयुक्त ने अनुमति देने में अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया समीक्षा करें। न्यायिक आयुक्त का दिसंबर का आदेश

7 , 1967 तदनुसार अलग रखा जाता है और 25 मई का आदेश,

1965 , पुनर्स्थापित किया जाता है। अपील की अनुमति है लेकिन बिना किसी लागत के।

(जोर दिया गया)

32. एम/एस। उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम उपराज्यपाल

दिल्ली का 1 4 14 एक ऐसा मामला था जिस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विचार किया जाना था। प्रासंगिक चर्चा पैराग्राफ में पाई जाती है।

8 और 9. वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

उस सिद्धांत से केवल तभी उचित ठहराया जाता है जब एक की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण और सम्मोहक चरित्र इसे करना आवश्यक बनाता है

तोः सज्जन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 845:

(1965) 1 एससीआर 933,948: (1965) 1 एससीजे 377]। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय का ध्यान किसी वैधानिक सामग्री की ओर नहीं खींचा जाता है।

मूल सुनवाई के दौरान, न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा

फैसलाः जी. एल. गुप्ता बनाम डी. एन. मेहता [(1971) 3 एस. सी. सी 189: 1971

13 (1979) 4 एससीसी 389 14 (1980) 2 एससीसी 167 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एससीसी (सीआरआई) 279: (1971) 3 एससीआर 748,750]। न्यायालय अपने निर्णय को फिर से खोल सकता है यदि कोई स्पष्ट गलती की गई है और यह है

पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए आदेश पारित करना आवश्यक हैः ओ. एन.

मोहिंद्रू बनाम। जिला। न्यायाधीश, दिल्ली [(1971) 3 एस. सी. सी. 5: (1971) 2 एस. सी. आर. 11,27] इसके निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा उच्चतम न्यायालय पर, और वह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है।

या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियम। एक दीवानी कार्यवाही में, एक

पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित आधार पर और आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट त्रुटि के आधार पर विचार किया जाता है।

अभिलेख का चेहरा (आदेश 40 नियम 1, उच्चतम न्यायालय नियम, 1966)। लेकिन कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो, यह विवाद से परे है कि पुनरीक्षण कार्यवाही की तुलना मामले की मूल सुनवाई और दिए गए निर्णय की अंतिमता के साथ नहीं की जा सकती है।

न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि "जहां पहले कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि हुई हो।

न्यायिक त्रुटि से ": सौ चंद्र कांटे बनाम। शेख हबीब [(1975) 1 एससीसी 674: 1975 एस. सी. सी. (कर) 200: (1975) 3 एस. सी. आर. 933]

9. अब, इस तथ्य के अलावा कि अधिकांश कानूनी सामग्री विद्वानों द्वारा दृढ़ता से एकत्र किया गया और हमारे सामने रखा गया

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें अब सौंपा गया है

प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित होना, कभी भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था

जब अपीलों की सुनवाई की जाती है, तो हम यह भी जांच कर सकते हैं कि क्या

निर्णय एक स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है

रिकॉर्ड करें। ऐसी त्रुटि तब होती है जब दो या दो से अधिक दृश्यों का प्रचार किया जाता है।

इस बिंदु पर यह माना जा सकता है कि विवाद कहा जा सकता है

उनमें से केवल एक को स्वीकार करना। यदि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण

मूल निर्णय में एक संभावित दृष्टिकोण है कि क्या

अभिलेख में कहा गया है कि यह मानना मुश्किल है कि अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है।

33. उक्त मामले में सवाल बंगाल वित्त के तहत उठा

कर) अधिनियम, 1941। मामला मांगी गई नई सामग्री पर आधारित था

राजस्व द्वारा यह स्थापित करने के लिए कि लेन-देन की राशि

बिक्री।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. फाउंडेशन, जो समीक्षा क्षेत्राधिकार को रेखांकित करते हैं, ने इस न्यायालय द्वारा एस. राज और अन्य बनाम में निर्णय में कुछ विस्तार से जांच की है। कर्नाटक राज्य और अन्य 1 5:

" 18. न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं को पार करता है। न तो प्रक्रिया के नियम और न ही कानून की तकनीकीताएँ इसके रास्ते में आ सकती हैं। न्यायालय का आदेश किसी के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। नियम

टकटकी के निर्णय का पालन निरंतरता के लिए किया जाता है लेकिन यह प्रशासनिक कानून में उतना लचीला नहीं है जितना कि सार्वजनिक कानून में है। यहां तक कि कानून भी झुकता है

न्याय से पहले। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रिट क्षेत्राधिकार की पूरी अवधारणा समानता और निष्पक्षता पर आधारित है। यदि न्यायालय को पता चलता है कि आदेश गलती से पारित किया गया था और वह

अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है लेकिन गलत के लिए ऐसी धारणा जो वास्तव में मौजूद नहीं थी और इसके अपराध के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, तो यह किसी भी सिद्धांत पर नहीं हो सकता है

त्रुटि को सुधारने से रोक दिया गया। गलती को किसी आदेश को वापस लेने के वैध कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंतर गलती की प्रकृति और सुधार की गुंजाइश में निहित है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह तथ्य या कानून का है या नहीं। लेकिन जिस जड़ से शक्ति प्रवाहित होती है, वह है अन्याय से बचने की चिंता। यह या तो वैधानिक है या अंतर्निहित है। बाद वाला उपलब्ध है जहाँ गलती न्यायालय की है। प्रशासनिक कानून में दायरा अभी भी व्यापक है। यदि न्यायालय संतुष्ट है तो तकनीकी विशेषताएँ अलग हैं

अन्याय के मामले में यह उसका संवैधानिक और कानूनी दायित्व है कि वह अपने आदेश को याद करके इसे सही करे। यहाँ जैसा कि समझाया गया है, जिस पीठ में हममें से एक (सहाय, जे.) सदस्य थे, उसने सभी वजीफेदार स्नातकों को प्रथम श्रेणी के पैमाने में रखने में गलती की थी। सही तथ्यों को अभिलेख पर लाने में राज्य की विफलता के कारण प्रभाग सहायक। लेकिन यह स्पष्ट रूप से अदालत के अपनी गलती सुधारने के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह के असमान परिणाम

राज्य द्वारा दायर अस्पष्ट हलफनामे के कारण अब सामने आए हैं

जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

19. शाब्दिक रूप से और न्यायिक रूप से भी समीक्षा का अर्थ है पुनः परीक्षा या पुनः विचार करना। इसमें अंतर्निहित बुनियादी दर्शन मानव दोषपूर्णता की सार्वभौमिक स्वीकृति है। फिर भी कानून के दायरे में अदालतें और यहां तक कि कानून भी निर्णय की अंतिमता के पक्ष में दृढ़ता से झुकते हैं

कानूनी और उचित रूप से बनाया गया। वैधानिक और दोनों तरह के अपवाद

आकस्मिक गलतियों या न्याय की विफलता को ठीक करने के लिए न्यायिक रूप से तराशा गया है। जब कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी तब भी

3 उदाहरण के लिए (4) एस. सी. सी. 595 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रावधान और उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए थे जो उन परिस्थितियों का संकेत देते हैं जिनमें वह अपने आदेश को सुधार सकता है, अदालतों ने प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता से बचने के लिए ऐसी शक्ति को समाप्त कर दिया। राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी बनाम। सुखराज

राय [ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 1,2: 1940 एफ. सी. आर. 78: (1941) 1 एम. एल. जे. सप 45] न्यायालय ने कहा कि भले ही उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे, फिर भी यह प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विकसित सीमित और संकीर्ण आधार पर उपलब्ध था। अदालत ने राजंदर नारायण में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी दी।

राय वी। बिजय गोविंद सिंह [(1836) 1 मू पीसी 117: 2 एमआईए 181 : 1 धारा 175] कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतिम था और इसे बदला नहीं जा सकता थाः

" ... फिर भी, यदि निर्णयों को मूर्त रूप देने में गलतफहमी से, त्रुटियों द्वारा पेश किया गया है, तो इन न्यायालयों के पास,

सामान्य कानून, वही शक्ति जो अभिलेख और कानून के न्यायालयों को गलतियों को सुधारने की है

में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक समान शक्ति का प्रयोग करता है

अपने स्वयं के निर्णय तैयार करने में की गई गलतियों को सुधारना और इस न्यायालय के पास वही अधिकार होना चाहिए। हालाँकि, प्रभु एक कदम आगे बढ़ गए हैं, और निर्णयों के विवरण में असावधानी के माध्यम से की गई गलतियों को ठीक किया है; या आदेशों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट दोष प्रदान किए हैं, या व्याख्यात्मक मामले जोड़े हैं, या विसंगतियों को सुलझा लिया है।

शक्ति के प्रयोग का आधार उसी निर्णय में बताया गया था जो नीचे दिया गया हैः

" इस बात पर संदेह करना असंभव है कि ऐसे मामलों में अनुग्रह मुख्य रूप से अंतिम उपाय के न्यायालय द्वारा किए जा रहे अपरिवर्तनीय अन्याय को रोकने के लिए प्रचलित स्वाभाविक इच्छा के कारण है, जहां किसी दुर्घटना से, बिना किसी दोष के, पक्ष को नहीं सुना गया है और अनजाने में एक आदेश दिया गया है अगर पार्टी को सुना गया होता "।

इस प्रकार किसी आदेश का सुधार मौलिक से उत्पन्न होता है सिद्धांत कि न्याय सबसे ऊपर है। इसका प्रयोग त्रुटि को दूर करने के लिए किया जाता है न कि अंतिमता को परेशान करने के लिए। जब संविधान बनाया गया था तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुधारने या वापस लेने की मूल शक्ति विशेष रूप से [2019] 17 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई थी।

संविधान। हमारा संविधान-निर्माता जिनके पास व्यावहारिक था

इस तरह के प्रावधान की प्रभावकारिता को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ज्ञान

किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की मूल शक्ति प्रदान की गई

इस न्यायालय को शर्तों के विषय में नियम बनाने की अनुमति दी गई जिस पर किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की जा सकती है। व्यायाम में

इस शक्ति का आदेश XL इस न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया था।

समान आधारों पर दीवानी कार्यवाही में किसी आदेश की समीक्षा करना

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XLVII नियम 1। द.

खंड में 'किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए' अभिव्यक्ति की गई है एक विस्तारित अर्थ और एक डिक्री या आदेश के तहत पारित किया गया है

परिस्थितियों की वास्तविक स्थिति की गलत समझ रखी गई है शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जमीन होना। आदेश के अलावा

उच्चतम न्यायालय के एक्स. एल. नियम 1 के अनुसार इस न्यायालय ने

ऐसे आदेश करने की अंतर्निहित शक्ति जो आवश्यक हो

न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।

इस प्रकार न्यायालय को वापस बुलाने या इसकी समीक्षा करने से नहीं रोका गया है।

स्वयं का आदेश यदि यह संतुष्ट है कि इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है

न्याय "।

(जोर दिया गया)

35. एस. नागराज (ऊपर) में निर्णय का पालन किया गया है।

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय (लिली थॉमस और अन्य बनाम देखें। भारत संघ और अन्य 1 6; हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। वी. मवासी और अन्य 1 7; कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य 1 8; उषा भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और

अन्य 1 9 और विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और एक अन्य वी। पंजाब राज्य और एक अन्य 20)।

36. कमलेश वर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 20 में कहा,

अपने निष्कर्षों को नीचे दें, जो इस प्रकार हैः

" सिद्धांतों का सारांश

20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा के निम्नलिखित आधार कानून द्वारा निर्धारित के रूप में बनाए रखने योग्य हैंः

16 (2000) 6 एससीसी 224 17 (2012) 7 एससीसी 200

18 (2013) 8 एससीसी 320

19 (2014) 7 एस. सी. सी. 663

20 (2017) 8 एससीसी 518।

यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

20.1 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगीः

(i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था या पेश नहीं किया जा सका था।

उसके द्वारा;

((ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि;

((ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

"कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या की गई है।

छज्जू राम बनाम। नेकी [(1921-22) 49 IA 144: (1922) 16 एलडब्ल्यू 37: ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 112] और मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित। सर्वाधिक रेव. मार पौलोस

एथानासियस [AIR 1954 SC 526: (1955) 1 एस. सी. आर. 520] का अर्थ है "कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप आधार पर पर्याप्त कारण"। भारत संघ बनाम में भी इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड [(2013) 8 एससीसी 337: जेटी (2013) 8 एससी 275]

20.2 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलना।

((ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ।

((ग) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मूल कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती।

मामले की सुनवाई।

((iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश के सामने प्रकट होने वाली भौतिक त्रुटि, इसके प्रभाव को कम नहीं करती है।

दृढ़ता या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।

(v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन यह झूठ है।

केवल पेटेंट त्रुटि के लिए।

(vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना नहीं हो सकती है।

समीक्षा के लिए एक आधार बनें।

(vii) अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

एक त्रुटि हो जिसे खोजना और खोजना होगा।

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से भीतर है।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है

पुनरीक्षण याचिका में अग्रिम किया जाना।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ix) समीक्षा तब बनाए रखने योग्य नहीं है जब मुख्य मामले पर बहस करते समय वही राहत मांगी गई थी

नकारात्मक "।

37. एक बहुत ही हाल के फैसले में, वास्तव में, भारत संघ द्वारा भरोसा किया गया था। , मुकेश (ऊपर), एक आपराधिक अपील में एक समीक्षा याचिका में, इस अदालत ने दोहराया कि समीक्षा किसी मूल मामले की फिर से सुनवाई नहीं है।

यहाँ तक कि एक और संभावित दृष्टिकोण स्थापित करना भी पर्याप्त नहीं होगा [विक्रम सिंह (ऊपर) देखें, जिस पर भरोसा किया गया था]।

38. इस न्यायालय की इस चिंता के कारण कि न्याय प्रदान करने का विचार न्यायालय के दिमाग में सबसे ऊपर है,

रूपा अशोक हुर्रा बनाम में संविधान पीठ का निर्णय। अशोक हुर्रा और अन्य 2 1। यह उक्त मामले में है कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा

एक वादी को उस मामले पर पुनर्विचार करने का अधिकार देने के लिए तैयार किया गया था जिसमें समीक्षा याचिका भी असफल हो। इस संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया है।

न्यायालय नियम, 2013 [इसके भाग IV आदेश XLVIII में]।

39. निस्संदेह, किसी भी त्रुटि को अभिलेख के सामने एक त्रुटि होने के लिए, वह नहीं हो सकती है जिसे उन बिंदुओं पर तर्क की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जहां दो संभावित रूप से हो सकते हैं।

लक्ष्मीनारायण हेगड़े और अन्य बनाम। मल्लिकार्जुन भवनप्पा तिरुमाले 22)। यह सिद्धांत समीक्षा याचिका पर भी समान रूप से लागू होता है।

40. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित निष्कर्ष अपरिहार्य प्रतीत होते हैं और वे समीक्षा के लिए आधार भी प्रदान करते हैंः न्याय सबसे ऊपर है। जबकि एक समीक्षा याचिका को छद्म रूप में एक अपील के रूप में नहीं समझा गया है और केवल एक गलत निर्णय उचित नहीं हो सकता है।

एक समीक्षा, एक निर्णय जो एक स्पष्ट त्रुटि को दर्शाता है, न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है। संस्थापक पिता इस बात से अवगत थे कि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय था। दो मूल्य हैं, जो कानून की किसी भी प्रणाली में हो सकते हैं

टकराते हैं। एक ओर, यह मानते हुए कि पुरुष अचूक नहीं हैं और अदालतों का संचालन पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो गलतियों के लिए प्रवण हैं, गंभीर अन्याय तक पहुंचने की संभावना की जांच करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व होना चाहिए। 21 (2002) 4 एस. सी. सी. 388

22 एयर 1960 एससी 137 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक वादी, एक त्रुटि के परिणामस्वरूप, जो स्पष्ट है या जिसके परिणामस्वरूप

अंधाधुंध रूप से फिर से खोलना, जब तक कि एक मजबूत आधार मौजूद न हो, जो स्वयं निर्णय या अन्य दो द्वारा प्रकट की गई स्पष्ट त्रुटि पर आधारित हो। सिविल मामले में सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. में उल्लिखित आधारों से काफी असमानता पैदा होगी।

41. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समीक्षा में अधिकार क्षेत्र के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत यह है कि समीक्षा छद्म रूप से अपील नहीं है।

एक समीक्षा में, आवेदक को, अधिकांश अवसरों पर, यह इंगित करते हुए कहा जाता है कि उसका उपाय एक अपील को आगे बढ़ाने में निहित है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपील की उपलब्धता के आधार पर आधार उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय है और कोई अपील नहीं है। 42. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के नियम, 2013 में कुछ शक्तियां पंजीयक के साथ-साथ न्यायाधीश को भी दी गई हैं।

चैंबरों में न्यायालय और अपील, वास्तव में, पंजीयक द्वारा पारित कुछ आदेशों के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। 43. तथ्य यह है कि इस न्यायालय के फैसले से कोई अपील नहीं है, हालांकि, अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिणाम नहीं हो सकता है।

137 संविधान का विस्तार किया जाए। हालाँकि, जब न्यायालय को अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो इस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है। , कि उन अन्य न्यायालयों के विपरीत जिनसे संविधान या अन्य कानूनों के तहत या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील की जा सकती है, इस न्यायालय के फैसले से कोई अपील नहीं होती है, और यह उस अर्थ में अंतिम न्यायालय है। इस सिद्धांत के लिए अंतर्निहित धारणा कि समीक्षा छद्म रूप से अपील नहीं है, यह निर्णय अपील योग्य है, वास्तव में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में उपलब्ध नहीं है, बस इतना ही बताया जा रहा है।

44. एक समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य है यदि विवादित निर्णय रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है। एक के विपरीत

प्रमाणिक अधिकारिता में कार्यवाही, जिसमें त्रुटि न केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, यह कानून की त्रुटि होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा देने के लिए आदेश XLVII नियम 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

सी. पी. सी., त्रुटि तथ्य या कानून की त्रुटि हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह [2019] 17 एस. सी. आर. होना चाहिए।

रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट। इस तरह की त्रुटि को इस रूप में वर्णित किया गया है स्पष्ट त्रुटि या स्पष्ट चूक। अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि क्या है, यह इस संदर्भ में पाया जाने वाला विषय है -

प्रत्येक मामले के तथ्य। हरि विष्णु कामथ बनाम में इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख करना उपयुक्त है। अहमद इशाक और अन्य 3, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 23. इसलिए यह तय किया जा सकता है कि प्रमाणपत्र का एक रिट

कानून की त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी किया जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक होना चाहिए; यह एक होनी चाहिए।

जो अभिलेख के सामने प्रकट होना चाहिए। असली।

हालाँकि, इस मामले के संदर्भ में कठिनाई इतनी अधिक नहीं है

सिद्धांत के कथन में जैसा कि तथ्यों पर इसके अनुप्रयोग में है

एक विशेष मामले में। कब एक त्रुटि केवल त्रुटि नहीं रह जाती है,

और रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि बन जाता है? सीखा है।

दोनों पक्षों के वकील किसी भी स्पष्ट नियम का सुझाव देने में असमर्थ थे जिसके द्वारा त्रुटियों के दो वर्गों के बीच की सीमा हो सकती है

सीमांकित किया जाए।

प्रथम प्रत्यर्थी के लिए श्री पाठक ने तर्क दिया कि

बटुक के. व्यास बनाम में चागला, सी. जे. की कुछ टिप्पणियाँ। सूरत

नगरपालिका [ए. आई. आर. 1953 बॉम 133] कि कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती थी

अभिलेख के सामने स्पष्ट होने के लिए यदि यह स्वतः स्पष्ट नहीं था, और यदि इसे स्थापित करने के लिए किसी परीक्षा या तर्क की आवश्यकता है। यह

परीक्षण बहुमत में निर्णय के लिए एक संतोषजनक आधार प्रदान कर सकता है।

मामलों में। लेकिन ऐसे मामले भी होने चाहिए जिनमें यह परीक्षण भी हो सकता है

टूट जाता है, क्योंकि न्यायिक राय भी अलग होती है, और एक त्रुटि

जिसे एक न्यायाधीश द्वारा आत्म-स्पष्ट नहीं माना जा सकता है

दूसरे द्वारा इस पर विचार किया जाए। तथ्य यह है कि एक त्रुटि क्या है

अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है या समग्र रूप से, अनिश्चितता का एक तत्व अंतर्निहित है

अपनी प्रकृति में, और इसे न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर "।

(जोर दिया गया)

45. गिरधारी लाल गुप्ता मामले में निर्णय में इस न्यायालय का दृष्टिकोण

(ऊपर) और देव नारायण सिंह (ऊपर) में भी यह देखा गया है कि यदि प्रासंगिक कानून की अनदेखी की जाती है या कोई अप्रयोज्य कानून निर्णय की नींव बनाता है, तो यह समीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करेगा। अगर 23 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक अदालत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों से अनजान है, निर्णय

वास्तव में, इनक्यूरियम के अनुसार होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रति इनक्यूरियम की अवधारणा पूर्ववर्ती के रूप में इसके मूल्य के संदर्भ में उपयुक्त है, लेकिन जैसा कि पक्षों के बीच है, निश्चित रूप से यह आग्रह करने के लिए खुला होगा कि लागू कानून की अज्ञानता में दिए गए निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे मामले में निर्णय समीक्षा के लिए खुला हो जाता है क्योंकि यह निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि को धोखा देगा। 46. जहां तक समीक्षा के लिए आधार बनाने वाली नई सामग्री का संबंध है, यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि यह प्रासंगिक हो और यह निर्णय को कमजोर करता हो। यह इस आवश्यकता के अलावा है कि उचित परिश्रम के बावजूद इसका उत्पादन नहीं किया जा सका।

47. विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना दो स्तरों पर होता है। सबसे पहले, न्यायालय प्रवेश स्तर पर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज या अस्वीकार कर सकता है। आम तौर पर, इस तरह के निर्णय के साथ कोई कारण नहीं होता है। जिन मामलों में नोटिस जारी होने के बाद विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है, उनमें भी सामान्य रूप से कारण नहीं दिए जा सकते हैं। कई तत्व इस न्यायालय के विचार में आते हैं जहां एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। एक समीक्षा आवेदक के लिए कार्य बन जाता है

एक संविधान पीठ द्वारा दिया गया बाध्यकारी निर्णय जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में भरोसा किया गया था और ललिता कुमारी (ऊपर) में प्रस्तुत किया गया। यह उचित है कि मैंने यह निर्धारित किया है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले के माध्यम से पैराग्राफ 120 में क्या कहा हैः

" निष्कर्ष/निर्देश

120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैंः

120.1 . यदि जानकारी [2019] 17 एस. सी. आर. के कमीशन का खुलासा करती है, तो संहिता की धारा 154 के तहत एफ. आई. आर. का पंजीकरण अनिवार्य है।

संज्ञेय अपराध और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

120.2 . यदि प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन एक जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक

जाँच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

120.3 . यदि जांच में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए। उसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए।

120.4 . यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। जानकारी होने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके द्वारा प्राप्त एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।

120.5 . प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

120.6 . किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार हैः

(क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(ख) वाणिज्यिक अपराध

(ग) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

((घ) भ्रष्टाचार के मामले

(ई) ऐसे मामले जहां शुरू करने में असामान्य देरी/विलंब होता है।

उदाहरण के लिए, आपराधिक अभियोजन, संतोषजनक व्याख्या के बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी

देरी के कारण।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

120.7 . अभियुक्त के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए

और शिकायतकर्ता, एक प्रारंभिक जांच समय पर की जानी चाहिए

बाध्य और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तथ्य यह है कि इस तरह की देरी और इसके कारणों को सामान्य में परिलक्षित किया जाना चाहिए

डायरी प्रविष्टि।

120.8 . चूँकि सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी है

कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी जानकारी, चाहे एफ़. आई. आर. दर्ज करने या जाँच के लिए अग्रसर होने के परिणामस्वरूप, होना चाहिए

उक्त डायरी में अनिवार्य रूप से और सावधानीपूर्वक प्रतिबिंबित किया गया और

प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी परिलक्षित होना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(जोर दिया गया)

49. इसलिए, यह उनका तर्क है कि रिट याचिका आई थी

अन्य रिट याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए। यह न्यायालय आगे बढ़ा उन प्रक्रियाओं की न्यायिक समीक्षा करना जिनके कारण 36 विमानों को खरीदने का निर्णय लिया गया था, जो पहले के 136 विमानों को खरीदने के निर्णय से पीछे हट गया था।

50. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसलिए, यह न्यायालय प्रतिबद्ध है

उनकी रिट याचिका में मांगी गई राहत पर ध्यान केंद्रित नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि जो इस न्यायालय की संविधान पीठ पर आधारित थी जो कम संख्या (तीन) की पीठ पर बाध्यकारी थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस पर बाध्यकारी कानून को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत को केवल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए कहा जा रहा है। उसी में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी राहत मांगी गई है।

51. प्रक्रिया, जिसे अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना है,

विस्तार से बताया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया से कोई बच नहीं सकता है।

52. जहाँ एक पक्ष एक कार्यवाही स्थापित करता है, यदि कार्यवाही है

एक नागरिक प्रकृति का, कार्रवाई का एक कारण होगा। कार्रवाई के कारण के आधार पर राहत मांगी जाएगी। दावे के समर्थन और विरोध दोनों में सामग्री का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद न्यायालय ने

या तो मामले को स्वीकार करने या मामले को अस्वीकार करने का निर्णय देता है। जब न्यायालय मामले को खारिज कर देता है, तो इसमें अनिवार्य रूप से वादी/याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार करना शामिल है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि याचिकाकर्ता कुछ राहतों के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। न्यायालय, मामले में अपना दिमाग लगाने के बाद, यह पता लगा सकता है कि याचिकाकर्ता राहत [2019] 17 एस. सी. आर. का हकदार नहीं है।

और मांगी गई प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अदालत मांगी गई राहतों का उल्लेख करती है लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है।

मांगी गई राहत के लिए मामले के संबंध में चर्चा और पक्ष के लिए गैर-उपयुक्त होने के लिए आगे बढ़ना। यह स्पष्ट है कि इस मामले में, यह अंतिम पहलू है जो समीक्षा किए जाने की मांग वाले फैसले से प्रकट होता है।

53. एक पक्ष द्वारा मांगी गई राहत के संबंध में एक निर्णय मौन हो सकता है। इस संबंध में सी. पी. सी. की धारा 11 पर ध्यान देना उचित है।

यदि कोई डिक्री मूक है, वादी द्वारा दावा की गई किसी भी राहत के संबंध में, धारा 11 का स्पष्टीकरण V घोषित करता है कि राहत को अस्वीकार माना जाना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार हैः

" धारा 11, स्पष्टीकरण 5-वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार की गई मानी जाएगी।

54. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि राहत को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो भी मामला न्यायिक हो जाएगा। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि जब किसी मामले का निर्णय लिया जाता है, तो न्यायालय दावे पर विचार करता है और मांगी गई राहत, उस क़ानून को लागू करता है जो लागू होता है और वह कानून जो विशेष रूप से तब लागू होता है जब वह मामले का निर्णय लेने में संविधान पीठ द्वारा होता है। जिस प्रकार, किसी निर्णय के मामले में, जहां लागू क़ानून, लागू नहीं किया जा रहा है, एक ऐसे निर्णय का परिणाम होगा जो समीक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी हो जाता है, उसी तरह कोई कारण नहीं हो सकता है कि जब इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय, जिसे पक्ष द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, की उपेक्षा की जाती है, तो इसका एक अलग परिणाम होना चाहिए। वास्तव में, अनुच्छेद 137 के तहत एक समीक्षा के बाद से

सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 में जो निहित है, उसके आधार पर किसी दीवानी मामले में संविधान के स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाना है। उसमें, कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के बाद, 1976 के अधिनियम द्वारा अपनी 54 वीं रिपोर्ट में जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, वह घोषणा करता है कि कानून एक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कानून के प्रश्न पर पहले के निर्णय को उलट देता है, वह निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा।

55. विधि आयोग ने, वास्तव में, उक्त रिपोर्ट में तर्क दिया कि निर्णय में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अपनाते हुए थडिकुलंगारा पाईली के पुत्र पाथरोज़ वी। अय्याज़ीवेट्टिल लक्ष्मी अम्मा के बेटे कुट्टन और अन्य 24 ने कहा कि बाद का निर्णय नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज के बराबर होगा, और किसी भी मामले में रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि, समीक्षा की संभावना को जीवित रखेगी।

24 एयर 1969 के. ई. आर. 186 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अनिश्चित काल के लिए। इसका मतलब यह होगा कि जब कोई अदालत किसी मामले का फैसला करती है, तो उसे उन फैसलों का पालन करना चाहिए जो उस पर बाध्यकारी हों। इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय की एक छोटी पीठ, यदि वह पहले के फैसले की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह महसूस करती है, तो मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने पर विचार नहीं कर सकती है। हालाँकि, जब तक वह ऐसी कोई कवायद नहीं करता है, तब तक वह निर्णय और वह भी संविधान पीठ के फैसले का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता है। उस पर बाध्यकारी निर्णय का पालन करने से इस तरह का कोई भी इनकार, निस्संदेह एक ऐसी त्रुटि का खुलासा करेगा जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होगी।

56. इस मामले में, जब इस न्यायालय ने फैसला सुनाया, तो मांग की

समीक्षा किए जाने के लिए, ललिता कुमारी (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले में, निस्संदेह, यह माना गया कि इस क्षेत्र को 12.11.2013 पर प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, उक्त निर्णय को अदालत के समक्ष रखा गया था। 57. दूसरे शब्दों में कहें तो याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को खारिज करना, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस न्यायालय के बाध्यकारी फैसले के अनुरूप होगा। जिस तरह एक बाध्यकारी क़ानून की उपेक्षा किए जाने और समीक्षा दायर करने के अधिकार को जन्म देने के मामले में, न तो तर्क पर और न ही कानून में एक बाध्यकारी निर्णय का पालन करने से इनकार, एक अलग व्यवहार के लिए योग्य होगा यदि एक समीक्षा दायर की जाती है। चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक मामला, चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि दिखाई देती है

अभिलेख, समीक्षा के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है।

58. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें एक पुराने तर्क को दोहराया जा रहा हो।

इस अर्थ में कि इस पर विचार करने और अस्वीकार करने के बाद, इसे समीक्षा में फिर से प्रतिध्वनित किया जाता है। यह एक ऐसा तर्क है जिसे निस्संदेह मूल पारी में दबाया गया था। यह पक्ष की गलती नहीं है अगर अदालत ने इसे छूने का भी फैसला नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस मामले में अलग हो सकता है जहां मांगे गए आधार या राहत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसे अन्यथा उचित पाया जाता है। लेकिन जहां इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित किसी आधार पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है और इसकी समीक्षा में शिकायत की जाती है, तो यह उस उद्देश्य की समीक्षा अधिकार क्षेत्र को छीन लेगा जिसे पूरा करने का उसका इरादा है, यदि शिकायत अन्यथा सराहनीय है,

ध्यान नहीं दिया जाता है।

59. एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक मध्यस्थता अनुरोध में एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया। समीक्षा में, अनुरोध था

पुनर्जीवित होने की कोशिश की। यह इस संदर्भ में था कि चैम्बर्स में बैठे इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने जैन स्टूडियो लिमिटेड (ऊपर) में रिपोर्ट किए गए निर्णय में कहा कि एक बार मुख्य मामले में इस तरह की राहत से इनकार कर दिया गया, तो कोई समीक्षा याचिका नहीं होगी। हालाँकि, [2019] 17 एस. सी. आर. के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त निर्णय, यह न्यायालय, कमलेश वर्मा (ऊपर) में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, सिद्धांत का सारांश देते हुए, पैराग्राफ 20.2 (ix) में घोषणा करने के लिए आया, कि समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं है जब वही राहत उस समय मांगी गई थी।

मुख्य विषय पर बहस करने को नकार दिया गया है।

60. उक्त सिद्धांत के संबंध में, जैन स्टूडियो लिमिटेड में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय में जिस संदर्भ में इसे निर्धारित किया गया था।

(ऊपर), पहले ही नोट किया जा चुका है। जैसा कि कहा गया है, उक्त सिद्धांत को तथ्यों की परवाह किए बिना लागू करने के लिए पत्थर में डाला गया माना नहीं जा सकता है। चित्रण सामने आते हैं जहाँ यह तथ्यात्मक संदर्भ से बेहतर रूप से संबंधित है न कि एक अपरिवर्तनीय स्वयंसिद्ध के रूप में जो अपवादों को स्वीकार नहीं करता है। एक ऐसा मामला लें जहां मांग किए जाने के बाद मैंडमस की रिट मांगी जाती है। मांग को रिकॉर्ड में रखा गया है और इसका विरोध भी नहीं किया गया है। मुख्य कार्यवाही में, मंडमस को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि कोई मांग नहीं है। यह राहत से इनकार करने के बराबर है। लेकिन निर्णय स्पष्ट रूप से स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है, और यदि शिकायत किसी ऐसे आधार पर राहत से इनकार करने के बारे में समीक्षा में की जाती है जो स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है, तो निश्चित रूप से, एक समीक्षा होगी। ऐसे कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं जहाँ राहत से इनकार करना स्पष्ट रूप से गलत और स्पष्ट है। यह अलग है, अगर साक्ष्य की सराहना या कानून को लागू करने पर, और जहां दो विचार संभव हैं, राहत से इनकार कर दिया जाता है। वास्तव में, मोटे तौर पर, राहत से इनकार दो स्थितियों में हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ राहत का अनुदान स्वयं विवेकाधीन होता है। ऐसी अन्य स्थितियाँ हैं जहाँ यदि तथ्यों का एक निश्चित समूह स्थापित किया जाता है, तो वादी/अपीलार्थी को दरवाजे से बाहर नहीं बताया जा सकता है। एक प्रतिवादी, जो एक समय-वर्जित मुकदमे के निर्णय के खिलाफ अपील करता है, यह स्थापित करता है कि एक मुकदमा समय-वर्जित है, और तथ्य, जैसा कि निर्णय में ही कहा गया है, इस तरह के आधार की ओर इशारा करते हैं। यदि फिर भी, अपीलीय न्यायालय मुकदमे का आदेश देता है और प्रतिवादी/अपीलार्थी को राहत देने से इनकार करता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि समीक्षा झूठ नहीं बोलेगी? इसका उत्तर केवल यह हो सकता है कि समीक्षा झूठ बोलेगी।

61. इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कि तथ्यों पर यह न्यायालय गलत था और स्पष्ट रूप से आदेश का पालन नहीं करने में इनकार कर रहा था

ललिता कुमारी (ऊपर) में संविधान पीठ, की एक विपरीत प्रक्रिया

इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तर्क का उपयोग किया जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि एक संविधान पीठ का पालन करने से इनकार करना, एक शिकायत पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया को निर्धारित करना जिसमें आरोप लगाया गया है कि

संज्ञेय अपराध, इसके उल्लंघन में नहीं देखा गया है? यदि पुनर्विचार याचिका, दूसरे शब्दों में, खारिज कर दी जाती है, तो सारतः यह न्यायालय होगा अपने फैसले को बरकरार रखते हुए, जिसे जब ललिता कुमारी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के साथ रखा जाता है, तो यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

दो निर्णयों का वर्ग नहीं किया जा सकता है। यह पेटेंट प्रस्थान के बावजूद सह-अस्तित्व में होना चाहिए, विवादित निर्णय निर्धारित कानून से प्रकट होता है

संविधान पीठ द्वारा। लेकिन यह असंभव होने के कारण, संविधान पीठ को प्रबल होना चाहिए और विवादित निर्णय इस हद तक अभिभूत हो जाता है कि यह असंगत है। यह सच हो सकता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चार रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई थी, यह न्यायालय निस्संदेह सीमित न्यायिक समीक्षा के दृष्टिकोण से मामलों के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ा है, जिसे वह प्रकृति के मामले में कर सकता है। उक्त अभ्यास के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। लेकिन यह अभिनिर्धारित करने से बहुत दूर है कि यह इस न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश का पालन नहीं करेगा जो एक शिकायत की प्राप्ति पर अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में है जो एक संज्ञेय अपराध के होने का संकेत देता है। यह न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि वह उन सामग्रियों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए गैर-उपयुक्त था जो अनुबंध के पुरस्कार को असुरक्षित ठहराने को उचित ठहराते। इसका यह अर्थ नहीं होगा कि यह या तो वर्जित है या यह कर्तव्य-बद्ध नहीं है कि वह अभी भी यह निर्देश दे कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए।

इस तरह की कार्यवाहियों में कार्य करता है और यह न्यायालय ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के लिए मौखिक सेवा से कम भुगतान करेगा। 63. जहाँ तक अनुबंध के अधिनिर्णय की न्यायिक समीक्षा का संबंध है, इस तथ्य के अलावा कि समीक्षा की अनुमति नहीं है

सामग्री का पुनर्मूल्यांकन, याचिकाकर्ता का दिन में देर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की न्यायिक समीक्षा की मांग करने का पहलू है। अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित पहलू भी है जो उसे उस समय की सरकार के विवेक पर निर्णय में बैठने की अनुमति नहीं देता है, विशेष रूप से इस मामले में शामिल माल की खरीद से संबंधित मामलों में। इसलिए, न्यायिक समीक्षा से संबंधित निष्कर्षों के संबंध में मांगी गई समीक्षा के संबंध में, वे स्पष्ट त्रुटियों से ग्रस्त नहीं पाए जा सकते हैं।

64. हालाँकि, भारत सरकार के रुख पर ध्यान दिया गया है, जो 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में दूसरा प्रतिवादी है, लेकिन जिस पक्ष का इस मामले में कहना है या इस अदालत द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के संदर्भ में मामले में कर्तव्य है, वह पहला प्रतिवादी है, अर्थात। , केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) जिसके समक्ष याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शनी पी1-शिकायत दायर की है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले प्रतिवादी, देश की प्रमुख जांच एजेंसी से, उस समय की सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। भारत सरकार इस पर बात नहीं कर सकती प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से। वह जो भी हो, तथ्य यह है कि ललिता कुमारी (ऊपर) में जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, उसके संदर्भ में निर्णय लिया जाना है।

65. एक आपत्ति, जो स्पष्ट रूप से मेरे विद्वान और महान भाई के साथ भारी पड़ी है, वह यह है कि इस न्यायालय ने इसके गुण-दोष पर विचार किया है।

मामले में, पहले प्रतिवादी द्वारा ललिता कुमारी (ऊपर) के संदर्भ में अनुपालन का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं हो सकता था। न्यायालय के तर्क पर ध्यान दिया गया है। इस न्यायालय ने यह घोषणा करते हुए मामले का दरवाजा खटखटाया है कि वह न्यायिक समीक्षा की कुछ सीमित शक्ति के संदर्भ में ऐसा कर रहा था। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने पाया कि कि तकनीकी रूप से जो संभव है, उसके क्षेत्र में कदम रखना न तो उचित है और न ही इस न्यायालय के अनुभव के भीतर है। इस न्यायालय को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री नहीं मिली कि यह भारत सरकार द्वारा किसी भी पक्ष के लिए व्यावसायिक पक्षपात का मामला है क्योंकि आई. ओ. पी. चुनने का विकल्प भारत सरकार के पास नहीं था। समापन पैराग्राफ में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि न्यायालय के विचार मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दृष्टिकोण से थे, जिसे इस मामले में लागू किया गया था।

66. इसलिए सवाल यह उठेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में, ललिता कुमारी (उपरोक्त) के अनुपालन की मांग करने वाली 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में मांगी गई राहत को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। अलग-अलग शब्दों में, सवाल यह उठेगा कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने कार्यवाही में भाग लिया और न्यायालय को गुण-दोष पर निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया और न्यायालय को गुण-दोष पर एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए राजी नहीं कर सके, फिर भी न्यायालय से एक त्रुटि खोजने के लिए कह सकते हैं और वह भी 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में प्रार्थना पर ध्यान नहीं देने में एक गंभीर त्रुटि।

67. जैसा कि पहले देखा गया है, यह कहना एक बात है कि न्यायालय के लिए उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा के साथ, उसे यशवंत सिन्हा बनाम मामले में योग्यता नहीं मिली।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

डी. पी. पी. का पालन करने में विफलता, अधिक मूल्य निर्धारण की उपस्थिति, एक पक्ष के पक्ष में ऑफसेट दिशानिर्देशों का उल्लंघन, और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश देने के संबंध में याचिकाकर्ताओं की एक और बात। यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय को उचित ठहराने के लिए रखी गई सामग्री से संतुष्ट नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने खुद को इस तथ्य की याद दिलाई है कि इस क्षेत्र में कदम रखना न तो उचित था और न ही न्यायालय के अनुभव के भीतर। यह भी उतना ही निर्विवाद है कि पूरे निष्कर्षों को उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र की प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। कानून के तहत किसी मामले की जांच करने वाले अधिकारी पर इस तरह के कोई प्रतिबंध और सीमाएं नहीं हैं। एक मामला प्रस्तुत करें, संज्ञेय अपराध के अपराध को बनाते हुए, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुरू करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां आवश्यक हो, प्रारंभिक जांच करें।

कानून के तहत शक्तियों का विस्तार, निस्संदेह, अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

68. विवादित फैसले में, "ऑफसेट" शीर्षक के तहत, पैराग्राफ 28 में, शिकायत का संदर्भ है जो भारतीय का पक्ष लेती है। बिजनेस ग्रुप, के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किया गया है। इस न्यायालय ने ऑफसेट खंड के खंड (4.3) को निकाला जिसमें यह प्रावधान है कि ओ. ई. एम./विक्रेता, श्रेणी-1 उप-विक्रेता ऑफसेट दायित्व को लागू करने के लिए भारतीय ऑफसेट भागीदार का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि उसे रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। इस न्यायालय ने विवादित निर्णय के पैराग्राफ 32 में समान दलीलों पर विचार किया, जो इस प्रकार हैः

" 32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, हाल ही में अस्तित्व में आई है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि संभवतः दोनों के बीच एक व्यवस्था थी।

मूल कंपनी रिलायंस कंपनी और डसॉल्ट वर्ष 2012 से शुरू हो रहे हैं। दोनों निगमों के बीच क्या बातचीत हुई, यह उनके लिए सबसे अच्छा मामला होगा, क्योंकि यह उनके वाणिज्यिक हितों का मामला है, जैसा कि वे समझते हैं। पूर्व द्वारा दिए गए साक्षात्कार को हर तरफ से स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति यह सुझाव देना चाहते हैं कि यह भारतीय है

सरकार जिसने इस मामले में फ्रांसीसी सरकार को कोई विकल्प नहीं दिया था। हमारे सामने उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, यह आई. ओ. पी. से संबंधित डी. पी. पी. 2013 के खंड के विपरीत प्रतीत होता है। जिसे ऊपर
निकाला गया है। इस प्रकार, वाणिज्यिक [2019] 17 एस. सी. आर.

व्यवस्था, हमारे विचार में, स्वयं भारत सरकार को इस स्तर पर, संबंध के संबंध में कोई भूमिका नहीं सौंपती है।

आई. ओ. पी. ऐसा लगता है कि इस तरह का मामला दसॉल्ट के व्यावसायिक निर्णय पर छोड़ दिया गया है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि भारत सरकार की भूमिका तभी शुरू होगी जब विक्रेता/ओ. ई. एम. निर्धारित तरीके से औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ऑफसेट निर्वहन के लिए आई. ओ. पी. और उत्पादों के विवरण का संकेत देना। जहाँ तक एच. ए. एल. की भूमिका का संबंध है, 36 विमानों की खरीद में कोई विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है। वास्तव में, सरकार का सुझाव ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संविदात्मक समस्याएं थीं और डसॉल्ट एच. ए. एल. द्वारा संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के बारे में सतर्क था, जिसे पहले के अनुबंध के गैर-समापन के लिए भी जिम्मेदार कहा जाता है।

69. पैराग्राफ 32 में पहला बयान अदालत को प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए इंगित करता प्रतीत होता है जिसमें सुझाव दिया गया है कि

संभवतः मूल कंपनी रिलायंस के बीच कोई समझौता था। कंपनी और डसॉल्ट वर्ष 2012 से शुरू हो रहे हैं। यह कहा गया है कि दोनों निगमों के बीच जो हुआ, उसे उन पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। इस संबंध में, समीक्षा याचिका में, यह बताया गया है कि इस न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी हैं, और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसके अध्यक्ष श्री अनिल अंबानी हैं, को भ्रमित करने में घोर गलती की है। यह भी तर्क दिया जाता है कि श्री अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलायंस की मूल कंपनी है।

साल 2012 की बात है। मूल रिलायंस कंपनी जिसे फैसले में संदर्भित किया गया था, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह से अलग कॉर्पोरेट निकाय है जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आरएएल की मूल कंपनी प्रतीत होती है। इसके बाद, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा साक्षात्कार से इनकार करने का संदर्भ है। यह आगे ध्यान दिया जाता है कि सामग्री के आधार पर, वाणिज्यिक व्यवस्था इस स्तर पर भारत सरकार को कोई भूमिका नहीं सौंपती है। आईओपी। एच. ए. एल. और भारत सरकार की भूमिका के बारे में कुछ टिप्पणियाँ करने के बाद ही विक्रेता/ओ. ई. एम. ने यशवंत सिन्हा बनाम प्रस्तुत किया।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

औपचारिक प्रस्ताव, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 33 में निहित अवलोकन किया जो पहले ही निकाला जा चुका है।

70. न्यायिक समीक्षा में अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण से

कार्यवाहियों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, साथ ही वाणिज्यिक पक्षपात का मामला दिखाने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुपस्थिति, यह सच हो सकता है कि जिसके अलावा अन्य निष्कर्ष दिए गए हैं

संदर्भित एक स्पष्ट त्रुटि का खुलासा नहीं कर सकता है। इस न्यायालय के अनुभव की कमी, जो तकनीकी रूप से संभव है, जैसा कि न्यायालय ने उल्लेख किया है, इसके साथ वजन किया है।

पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ व्यापक और

राइट कोर्ट से अलग

71. ए के बारे में जांच करने के लिए पुलिस का वैधानिक अधिकार

संज्ञेय अपराध 'अच्छी तरह से निपटाया गया है। राजा में-सम्राट वी। नजीर अहमद ख्वाजा 25, प्रिवी काउंसिल ने, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

" भारत में, जैसा कि दिखाया गया है, एक वैधानिक अधिकार है।

एक कथित की परिस्थितियों की जांच करने के लिए पुलिस की

न्यायिक से किसी भी प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना संज्ञेय अपराध

अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग द्वारा वे वैधानिक अधिकार अदालत से। न्यायपालिका और पुलिस के कार्य हैं -

पूरक अतिव्यापी नहीं और व्यक्ति का संयोजन कानून और व्यवस्था के उचित पालन के साथ स्वतंत्रता केवल होनी चाहिए

प्रत्येक को अपने स्वयं के कार्य करने के लिए छोड़ने से प्राप्त किया जाता है, हमेशा न्यायालय के हस्तक्षेप करने के अधिकार के अधीन पाठ्यक्रम

उपयुक्त मामला जब सी. पी. सी. की धारा 491 के तहत स्थानांतरित किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में दिशाएँ। ऐसे मामले में

हालाँकि, न्यायालय के कार्य तब शुरू होते हैं जब कोई आरोप लगाया जाता है इससे पहले पसंद किया जाता है और तब तक नहीं। .....

72. उसी के बाद, एम. सी. अब्राहम और एक अन्य मामले में यह न्यायालय

वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य 26, निम्नानुसार आयोजित किए गएः

" 13. इस न्यायालय ने जे. ए. सी. सल्दान्हा के मामले में निर्णय दिया [(1980) 1

एस. सी. सी. 554 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 272] कि एक स्पष्ट-कट है और

अपराध का पता लगाने के क्षेत्र में गतिविधि का सीमांकित क्षेत्र

25 एयर 1945 पी. सी. 18 26 (2003) 2 एससीसी 649 [2019] 17 एस. सी. आर.

और अपराध की सजा। अपराध की जाँच पुलिस के माध्यम से कार्यपालिका द्वारा विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र है।

विभाग, वह अधीक्षण जिस पर राज्य सरकार निहित है। यह कार्यपालिका का बाध्यकारी कर्तव्य है कि

जाँच करें, यदि कोई अपराध का आरोप लगाया गया है, और अपराधी को उनके पास लाएँ।

किताब। एक बार जब वह जाँच करता है और पाता है कि कोई अपराध किया गया है, तो यह उसका कर्तव्य है कि वह इस उद्देश्य के लिए साक्ष्य एकत्र करे -

अपराध साबित करना। ..... "

एक अन्वेषक की वास्तविक भूमिका। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न तो यह उचित है और न ही न्यायालय के अनुभव के भीतर यह कदम उठाना कि क्या तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। संज्ञेय अपराध के अन्वेषक पर ऐसी कोई सीमा लागू नहीं होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जाँचकर्ता का कर्तव्य है अधिकारी सभी सामग्री एकत्र करता है, चाहे वह तकनीकी हो या अन्यथा, और उसके बाद, संबंधित अदालत को एक उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, चाहे वह अंतिम रिपोर्ट हो या बरामद सामग्री के आधार पर चालान। इस न्यायालय ने पर्याप्त सामग्री के अभाव पर भरोसा किया। यह जाँच अधिकारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे दूर, एक संचालन का बहुत उद्देश्य

संज्ञेय अपराध किए जाने की शिकायत पर जांच, सामग्री का पता लगाने के लिए होती है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि पहला प्रतिवादी देश की प्रमुख जांच एजेंसी है जो मान ली जाती है कि जांच की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। उच्चतम गुणवत्ता का व्यावसायिकता, जो इसके भीतर शामिल है, असम्बद्ध

इससे स्वतंत्रता और तटस्थता की अपेक्षा की जाती है। पुनः, विवादित निर्णय के आधार पर प्रतिबंध न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र भी है। यह एक पहाड़ी धारा के रूप में स्पष्ट है कि ये दोनों विचार एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, जिसके सामने एक संज्ञेय अपराध के होने की शिकायत है।

74. हालाँकि, ललिता कुमारी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 120 में निहित निर्देश आगे के होने चाहिए।

सराहना की। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में वास्तव में यशवंत सिन्हा बनाम के समक्ष एक विस्तृत लिखित शिकायत दायर की है।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहला प्रतिवादी-सी. बी. आई.। जो शिकायत की जाती है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध करने का प्रयास करती है। ललिता कुमारी (ऊपर) के पैराग्राफ 120.1 में घोषणा की गई है कि यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। संविधान पीठ ने ऐसी स्थिति में किसी भी प्रारंभिक जांच पर रोक लगा दी। यह उचित है कि इस स्तर पर अनुच्छेद 120.5 देखा जाता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रारंभिक जांच का दायरा जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है

75. पैराग्राफ 120.6 उन मामलों के प्रकार से संबंधित है जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले उन मामलों की श्रेणियों में से एक हैं जहां प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामले जहां आपराधिक कार्रवाई शुरू करने में असामान्य देरी या अड़चनें होती हैं अभियोजन पक्ष, उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में तीन महीने से अधिक की देरी। जैसा कि अनुच्छेद 120.6 से देखा जा सकता है, चिकित्सा लापरवाही के मामले, वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध भी ऐसे मामले हैं जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। पैराग्राफ 120.6 के दायरे को समझने के लिए, पैराग्राफ 115 से 119 तक विज्ञापन देना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः

" अपवाद

115. हालाँकि, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि धारा 154

संहिता सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर प्राथमिक सूचनाओं के अनिवार्य पंजीकरण को अभिनिर्धारित करती है, फिर भी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां परिवर्तन [2019] 17 एस. सी. आर. के कारण प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय के साथ अपराधों की उत्पत्ति और नवीनता में। ऐसा ही एक उदाहरण चिकित्सा संबंधी आरोपों के मामले में है।

डॉक्टरों की लापरवाही। केवल के आधार पर एक चिकित्सा पेशेवर पर मुकदमा चलाना अनुचित और असमान होगा

शिकायत में आरोप।

2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1369], यह इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 35 , पैरा 51-52) " 51. हमें इस धारणा के रूप में नहीं समझा जा सकता है कि डॉक्टरों पर कभी भी उस अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जिसमें जल्दबाजी या लापरवाही एक आवश्यक घटक है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह समाज के हित में देखभाल और सावधानी की आवश्यकता पर जोर देना है; क्योंकि, चिकित्सा पेशा जो सेवा मनुष्यों को प्रदान करता है वह शायद सबसे महान है, और इसलिए डॉक्टरों को तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजनों से बचाने की आवश्यकता है। कई शिकायतकर्ता चिकित्सा पेशेवर पर अनावश्यक या अन्यायपूर्ण मुआवजा निकालने के लिए दबाव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेना पसंद करते हैं। इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही होनी चाहिए

के खिलाफ संरक्षित।

52. कुछ दिशानिर्देशों को शामिल करने वाले सांविधिक नियम या कार्यकारी निर्देश सरकार द्वारा बनाए और जारी किए जाने की आवश्यकता है।

भविष्य के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करना जो उन अपराधों के लिए डॉक्टरों के अभियोजन को नियंत्रित करना चाहिए जिनके लिए आपराधिक लापरवाही या आपराधिक लापरवाही एक घटक है। एक निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया पेश नहीं करता है। अभियुक्त चिकित्सक की ओर से जल्दबाजी या लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सक्षम चिकित्सक द्वारा दी गई विश्वसनीय राय के रूप में अदालत के समक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य। जांच अधिकारी को उतावलापन या लापरवाही या चूक के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक शिकायत प्राप्त करनी चाहिए।

अधिमानतः स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय सरकारी सेवा में डॉक्टर, चिकित्सा की उस शाखा में योग्य

अभ्यास जिनसे आम तौर पर बोलम को लागू करते हुए एक निष्पक्ष और निष्पक्ष राय देने की उम्मीद की जा सकती है [बोलम बनाम। फ्रायर्न अस्पताल प्रबंधन समिति, (1957) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 582:

(1957) 2 सभी एर यशवंत सिन्हा बनाम। केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

118] जाँच में एकत्र किए गए तथ्यों का परीक्षण करें। जल्दबाजी या लापरवाही के आरोपी डॉक्टर को नियमित तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (केवल इसलिए कि उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है)। जब तक जांच को आगे बढ़ाने या सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है या जब तक कि जांच अधिकारी संतुष्ट महसूस नहीं करता है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई तब तक अभियोजन का सामना करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी को रोका जा सकता है।

118. इसी तरह, तपन कुमार सिंह [सी. बी. आई. बनाम। तपन कुमार सिंह (2003) 6 एस. सी. सी. 175: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1305], इस न्यायालय ने एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को केवल इस आधार पर मान्य किया है कि जब पहली जानकारी प्राप्त होती है, तो वह संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है। 119. इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रतिवादों को देखते हुए, केवल यह आवश्यक है कि पुलिस को दी गई जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए। ऐसे में एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर दी गई जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है कि क्या एक संज्ञेय अपराध किया गया है। लेकिन, यदि दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का उल्लेख है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में अन्य विचार प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे कि क्या

जानकारी गलत तरीके से दी जाती है, क्या जानकारी वास्तविक है, क्या जानकारी विश्वसनीय है, आदि। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें एफ. आई. आर. की जाँच के दौरान सत्यापित किया जाना है। एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में, केवल यह देखा जाना चाहिए कि क्या दी गई जानकारी प्रत्यक्ष रूप से एक आयोग के गठन का खुलासा करती है।

संज्ञेय अपराध। यदि जांच के बाद दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर झूठी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाने का हमेशा एक विकल्प होता है।

(जोर दिया गया)

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76. जैसा कि देखा जा सकता है कि चिकित्सा लापरवाही के मामले होते हैं

सामान्य नियम के लिए एक अपवाद जो सभी संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफ. आई. आर. के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक चिकित्सा पेशेवर पर मुकदमा चलाना अनुचित और असमान होगा। यह जैकब मैथ्यू बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भर था। पंजाब राज्य और अन्य 27।

77. ललिता कुमार (सुप्रा) के पैराग्राफ 117 में, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

पी. सिराजुद्दीन, आदि में निर्णय के लिए। मद्रास राज्य ने यह विचार व्यक्त किया कि उक्त निर्णय में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में, न्यायालय ने लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता व्यक्त की है।

78. पी. सिराजुद्दीन (ऊपर) में, संविधान पीठ द्वारा भरोसा किया गया

ललिता कुमारी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, और जिस पर स्पष्ट रूप से संविधान पीठ द्वारा भरोसा किया गया है, हालांकि स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं किया गया है, वह पैराग्राफ 17 में निहित निम्नलिखित कथन हैः

" 17. ..... लोक सेवक के सामने, उसकी स्थिति जो भी हो, सार्वजनिक रूप से होती है।

एक व्यक्ति जो अपीलार्थी को पसंद करता है एक में शीर्ष स्थान पर आसीन है विभाग, भले ही आधारहीन हो, न केवल अकथनीय नुकसान करेगा

विशेष रूप से उस अधिकारी को, लेकिन जिस विभाग से वह संबंधित था,

सामान्य तौर पर। ..... "

(जोर दिया गया)

79. ललिता कुमारी (ऊपर) में, एक विवाद जो था

न्यायालय के समक्ष यह दबाव डाला गया कि कुछ स्थितियों में प्रारंभिक जांच आवश्यक है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

सी. बी. आई. अपराध नियमावली। ललिता कुमारी (उपरोक्त) के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैंः

" 89. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष पर भरोसा किया

सी. बी. आई. नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पढ़ा जाना चाहिए।

27 (2005) 6 एससीसी 1 28 (1970) 1 एस. सी. सी. 595 यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 154। यह सच है कि "प्रारंभिक जांच" की अवधारणा

यह सी. बी. आई. की अपराध नियमावली के अध्याय IX में निहित है। हालाँकि, यह अपराध नियमावली एक क़ानून नहीं है और इसे विधायिका द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है। यह सी. बी. आई. अधिकारियों के आंतरिक मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों का एक समूह है। यह नहीं हो सकता।

कोड को हटा दें। इसके अलावा, संहिता में इसके विपरीत किसी भी संकेत के अभाव में, आपराधिक संहिता की योजना में प्रारंभिक जांच करने की अवधारणा को आयात करने के लिए सीबीआई अपराध नियमावली के प्रावधानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

प्रक्रिया। इस समय, यह प्रस्तुत करना भी उचित है कि सी. बी. आई. का गठन एक विशेष अधिनियम, अर्थात् दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के तहत किया गया है और यह जांच करने की अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

इस अधिनियम से।

90. यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि संहिता की धारा 4 (2) और 5 विशेष अधिनियमों के लिए विशेष प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमति देती है। अनुभाग

4 संहिता का विवरण निम्नानुसार हैः " 4.भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा। (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

(2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. के अलावा अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए, उन अपराधों की जांच, जांच, मुकदमे आदि को विनियमित करने के लिए एक विशेष अधिनियम के तहत अलग-अलग प्रावधान निर्धारित किए जा सकते हैं। संहिता की धारा 4 (2) ऐसे विशेष प्रावधानों की रक्षा करती है।

91. इसके अलावा, संहिता की धारा 5 निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

" 5.बचत हो रही है। इस संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति या निर्धारित प्रक्रिया का कोई विशेष रूप।

इस प्रकार, सी. बी. आई. की शक्तियों से संबंधित डी. एस. पी. ई. अधिनियम में निहित विशेष प्रावधान संहिता की धारा 5 द्वारा भी संरक्षित हैं।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

92. संहिता में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए, डी. एस. पी. ई. अधिनियम के तहत सी. बी. आई. की शक्तियों को संहिता के तहत नियमित राज्य पुलिस की शक्तियों के बराबर नहीं किया जा सकता है।

80. इसके बाद "अपवाद" शीर्षक के तहत,

सत्यापन के लिए उपयुक्त। यह अन्य बातों के साथ-साथ विषय से संबंधित शिकायतें भी प्रदान करता है। वे मामले जो सी. बी. आई. के दायरे में आते हैं, या तो आधिकारिक चैनलों से या अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त संगठनों से प्राप्त होते हैं।

या उन व्यक्तियों से जिन्हें जाना जाता है और जिनका पता लगाया जा सकता है और उनकी जांच की जा सकती है। निस्संदेह, याचिकाकर्ता ज्ञात हैं और उनका पता लगाया जा सकता है और उनकी जांच की जा सकती है। केंद्र सरकार के किसी मंत्री या पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत सी. बी. आई. के निदेशक के समक्ष रखी जानी है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सत्यापन के लिए पंजीकृत शिकायतों का केवल गुप्त सत्यापन किया जाएगा। अध्याय 9 के खंड (9.1) में विचार किया गया है कि जब कोई शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, सत्यापन के बाद प्राप्त होती है और जो सत्यापन के बाद लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत दे सकती है, लेकिन नियमित मामले के पंजीकरण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो Cr.PC की धारा 154 के प्रावधानों के तहत, प्रारंभिक जांच दर्ज की जा सकती है।

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद। खंड (9.1), निस्संदेह, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सौंपे गए मामलों से भी संबंधित है। नियमावली में आगे विचार किया गया है कि प्रारंभिक जांच के परिणामस्वरूप या तो नियमित मामले दर्ज किए जाएंगे या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 81. ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के समक्ष सी. बी. आई. अपराध नियमावली थी। इसने इस न्यायालय के फैसले पर भी विचार किया

पी. सिराजुद्दीन (ऊपर) में जिसने भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता घोषित की। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकी दर्ज करने और उसी तरह की जांच से राहत पाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि अपवादों में से एक जहां तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का सहारा नहीं लिया जा सकता है, वह एक सार्वजनिक व्यक्ति पर उंगली उठाने वाला मामला होगा। और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस न्यायालय ने आपराधिक शुरू करने में देरी होने पर प्रारंभिक जांच की भी अनुमति दी है-यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अभियोजन, उदाहरण के लिए, तीन महीने से अधिक। एक प्रारंभिक जांच, जिसे अनुच्छेद 120.7 में देखा जाना है, को सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

82. याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक राहत की मांग नहीं की है।

जाँच की जा रही है। यह मानते हुए भी कि मांगी गई राहत की तुलना में एक छोटी राहत दी जा सकती है, अभी भी एक और प्रतीत होने वाली अप्रतिरोध्य बाधा है।

83. वर्ष 2018 में, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)

अधिनियम, 2018 (इसके बाद संक्षेप में '2018 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को 26.07.2018 पर लागू किया गया था। इसके तहत, धारा 17 ए, एक नई धारा जोड़ी गई, जो इस प्रकार हैः

" 17 ए. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी कोई जांच या जाँच नहीं करेगा।

या किए गए किसी भी कथित अपराध की जांच

इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा, जहां कथित अपराध है इस प्रकार की किसी भी सिफारिश या निर्णय से संबंधित

लोक सेवक अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में,

पूर्व अनुमोदन के बिना-(ए) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो

उस समय कार्यरत था या था जब अपराध का आरोप लगाया गया था

के मामलों के संबंध में प्रतिबद्ध किया गया है संघ, उस सरकार का; (बी) एक व्यक्ति के मामले में जो है

या उस समय कार्यरत था जब अपराध का आरोप लगाया गया था

किसी राज्य के मामलों के संबंध में किए गए हैं, उस सरकार का; (ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,

उस समय उन्हें उनके कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी

जब अपराध करने का आरोप लगाया गया थाः प्रदान किया गया कि शामिल मामलों के लिए ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी

स्वीकार करने या स्वीकार करने के आरोप में मौके पर ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने लिए या किसी के लिए किसी भी अनुचित लाभ को स्वीकार करने का प्रयास करना

अन्य व्यक्तिः बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के तहत अपने निर्णय को तीन की अवधि के भीतर व्यक्त करें।

जिन महीनों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है

प्राधिकरण को एक महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जाए।

(जोर दिया गया)

84. धारा 17 ए के संदर्भ में, किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुमति नहीं है

लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच या जांच करना या जांच करना जहां कथित अपराध पूर्व अनुमोदन के बिना लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में की गई किसी भी सिफारिश या निर्णय से संबंधित है, [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोक सेवक को उसके कार्यालय से उस समय हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था। लोक सेवक के संबंध में, जो इस मामले में शामिल है, यह खंड (सी) लागू होता है। इसलिए, जब तक पूर्व मंजूरी नहीं है, तब तक न तो जांच हो सकती है और न ही जांच। इस संदर्भ में यह ध्यान देना उचित है कि शिकायत, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में दायर की गई है, प्रथम प्रतिवादी-सी. बी. आई. के समक्ष दायर की गई है, धारा 17 ए को शामिल करने के बाद की गई है। शिकायत दिनांकित 04.10.2018 है। पैराग्राफ 5 उस राहत को निर्धारित करता है जो शिकायत में मांगी गई है जो विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए है। शिकायत के अनुच्छेद 6 और 7 में प्रासंगिक हैं

धारा 17 ए का संदर्भ, जो इस प्रकार हैः

" 6. हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में अधिनियम की धारा 17 (ए) को लागू करने के लिए एक संशोधन के माध्यम से लाया गया है

सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच या जांच।

7. हम यह भी जानते हैं कि यह आपको विशिष्ट स्थिति में डाल देगा।

अभियुक्त के खिलाफ एक मामले की जांच करने की अनुमति के लिए स्वयं से पूछने की स्थिति। हम समझते हैं कि इस मामले में आपके हाथ बंधे हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसकी जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत सरकार से अनुमति लेने के लिए कम से कम पहला कदम उठाएं।

अपराध और जिसके तहत, "संबंधित प्राधिकारी

इस धारा के तहत अपने निर्णय को तीन महीने की अवधि के भीतर व्यक्त करें, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जा सकते हैं -

ऐसे प्राधिकरण को एक और अवधि के लिए बढ़ाया जाए महीना "।

85. इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से जानते हुए शिकायत दायर की है कि धारा 17 ए किसी भी जांच या जांच के लिए एक बाधा का गठन करती है या

जाँच जब तक कि पूर्व अनुमोदन न हो। वास्तव में, 2018 अधिनियम की धारा 17 ए के तहत अनुमति लेने का कम से कम पहला कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 24.10.2018 पर दायर की गई थी और शिकायत एफ़. आई. आर. दर्ज न करने पर आधारित है। धारा 17 ए को कोई चुनौती नहीं है। कानून के तहत, जैसा कि हालाँकि, याचिका दायर करने की तारीख और आज भी, धारा 17 ए संविधि पुस्तिका में बनी हुई है और यह किसी भी जांच या जांच या जांच

के लिए एक बाधा का गठन करती है। याचिकाकर्ता स्वयं शिकायत में धारा 17 ए के संदर्भ में अनुमोदन लेने का अनुरोध करते हैं, लेकिन जब यशवंत सिन्हा बनाम।

केंद्रीय भवन

जांच टीएचआर। यह डी. आई. आर. है। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह रिट याचिका में मांगी गई राहत की बात आती है, इस ओर से कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। 86. यहां तक कि इस आधार पर भी कार्यवाही करना कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर, एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि यह संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने के लिए अभिप्रेत है और न्यायालय को ऐसा निर्देश देना चाहिए, क्या यह धारा 17 ए के संबंध में एक व्यर्थ अभ्यास नहीं होगा। इसलिए, मेरा विचार है कि हालाँकि अन्यथा 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में याचिकाकर्ताओं ने ललिता कुमारी (उपरोक्त) में वास्तव में निर्धारित कानून और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए को ध्यान में रखते हुए एक पुनर्विचार याचिका में एक मामला बनाया होगा, याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकते हैं। हालांकि, यह मेरा विचार है कि जिस फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई है, वह 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में पहले प्रतिवादी के प्रदर्शन पी1- शिकायत पर कार्रवाई करने के रास्ते में खड़ा नहीं होगा।

कानून के अनुसार और पहले उत्तरदाता के पूर्व प्राप्त करने के अधीन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत अनुमोदन।

87. जैसा कि यहाँ पहले कहा गया है, अन्य याचिकाओं और आवेदनों के संबंध में, मैं भाई न्याय के प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ। संजय किशन कौल।

अंकित ज्ञान

माम

लों का निपटारा किया गया।